श्रम की दुनिया

आईएलओ की पत्रिका

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय
जेनेवा

बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष : पूरी तेजी पर

संख्या 40, दिसम्बर 2010

इस अंक में –

• बाल श्रम की वैश्विक चुनौती • फोटो रिपोर्ट बाल श्रम का चेहरा • सहाकारी संघ और वित्तीय संकट
• बौद्धिक विकलांगता से ग्रस्त लोग • लघुवित्त • जी 20 में आईएलओ • अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2010

आईएलओ का एक ही लक्ष्य- बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष

© आईएलओ फोटो

स्थापना के समय से ही बाल श्रम का मुद्दा आईएलओ के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि संगठन ने इस दिशा में महती प्रयास किए हैं, फिर भी बाल श्रम की समस्या विश्व भर में आर्थिक और सामाजिक अनुपातों को असंतुलित कर रही है। पिछले दशक में बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट के बावजूद हर क्षेत्र ने इस गिरावट में असमानता देखी गई। वर्ष 2004 से वर्ष 2008 के बीच विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट की गति भी धीमी रही।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हर क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या में असमान गिरावट हुई। इतिहास गवाह है कि विकसित देशों को अपने यहां बाल श्रम की समस्या से निपटने में सालों का समय लगा। एक समय ऐसा था जब विकसित देशों में लाखों की संख्या में बच्चे खदानों, कारखानों, मिलों, खेतों और फुटपाथों पर काम करते थे। आज विकासशील देशों के बाल श्रमिक जिस प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उस समय विकसित देशों के गरीब बच्चे भी ऐसी ही स्थितियों से गुजर रहे थे।

वर्ष 1890 में बर्लिन में एक राजनयिक स्तर के सम्मेलन में बाल श्रम के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन पहले विश्वयुद्ध ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अस्तित्व में आया। वर्ष 1919 में पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान 39 देशों के प्रतिनिधियों ने उद्योगों में काम करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। इसके बाद 1920 में नौवहन क्षेत्र में और फिर 1921 में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम आयु निर्धारित की गई।

वर्ष 1973 तक इन समझौतों पर की गई संपुष्टियों की गति धीमी थी। इसी साल आईएलओ ने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के लिए रोजगार की न्यूनतम आयु निर्धारित की। इसके लिए संगठन ने रोजगार के लिए न्यूनतम आयु पर केंद्रित समझौता संख्या 138 स्वीकृत किया।

इस दौरान विश्व भर में एक और चिंता व्याप्त थी। यह बाल श्रम के खतरनाक रूपों को लेकर थी। कई प्रकार के खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिकों से काम करवाया जाता है जो बहुत अमानवीय है। इसी चिंता के चलते नब्बे के दशक में बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के उन्मूलन पर आम सहमति बनी। दो सालों के प्रयास के बाद वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान बाल श्रम के निकृष्ट रूपों पर केंद्रित समझौते को सर्व सहमति से मंजूर किया गया। आईएलओ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी समझौते को सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया। इसी से पता चलता है कि संगठन के सदस्य देश इस विषय को कितना महत्व देते हैं। 95 प्रतिशत सदस्य देश अब तक इस समझौते को संपुष्टि दे चुके हैं, जबकि समझौता संख्या 138 को संपुष्टि देने वाले सदस्य देशों का प्रतिशत 85 है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल श्रम की समस्या पर विश्व व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान की जड़े विकसित देशों के इतिहास में हैं लेकिन अब विकासशील देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर एक समझौते को स्वीकृत किया। इसके बाद वर्ष 1992 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपैक) आरंभ किया जिसे वर्ष 1997 में अमस्टर्डम और ओस्लो सम्मेलनों में मजबूती प्रदान की गई। इसके बाद समझौता संख्या 182 अस्तित्व में आया।

इसी वर्ष मई के महीने में (11 मई 2010) नीदरलैंड्स सरकार द्वारा हेग में आयोजित एक सम्मेलन में बाल श्रम के निकृष्ट रूपों को वर्ष 2016 तक समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले 80 देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्य के लिए एक रोडमैप पर सहमति जताई है।

हालांकि इस दिशा में कई सफल प्रयास किए गए हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हेग सम्मेलन का यह स्पष्ट संदेश था कि अगर सरकारों में बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति कड़ी प्रतिबद्धता है तो यह अभियान अवश्य ही सफल होगा।

श्रम की दुनिया
आईएलओ की पत्रिका

श्रम की दुनिया पत्रिका का प्रकाशन जेनेवा में आईएलओ के जन संपर्क ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका का प्रकाशन चाइनीज़, चेक, डेनिश, अंग्रेज़ी, फ़िनिश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, जापानी, नार्वेजियन, रूसी, स्लोवाक, स्पैनिश और स्वीडिश भाषाओं में भी होता है।

सम्पादक
हैन्स वॉ नरोलैंड

ओडक्शन मैनेजर
किरन मेहरा - कर्पलमन

ओडक्शन असिस्टंट
कोरीन लुचीनी, रिता केसेरो

फ़ोटो संपादक
मार्सेल क्रोज़ेट

कला निर्देशन
एमडीपी, आईएलओ, ट्यूरिन

कवर डिज़ाइन
एमेतो मॉन्तेसानो, आईएलओ ट्यूरिन

संपादकीय बोर्ड
टामस नेट्टर (अध्यक्ष), शारलट बोशां, किरन मेहरा-कर्पलमन, कोरिन पर्थ्रिस, हैन्स वॉन रोलैंड

यह पत्रिका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं है। पत्रिका में व्यक्त विचार आवश्यक रूप से आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं। पत्रिका में अभिव्यक्त विशिष्ट उल्लेख किसी भी देश, क्षेत्र या उपक्षेत्र और उनके प्रशासन या उनकी सीमाओं के बारे में आईएलओ के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हैं।

पत्रिका में कंपनियों या वाणिज्यिक उत्पादों या प्रक्रियाओं का उल्लेख आईएलओ द्वारा उन्हें मान्यता देना नहीं है और किसी निश्चित कंपनी, वाणिज्यिक उत्पाद या प्रक्रिया का उल्लेख रह जाना उनके प्रति आईएलओ की असहमति नहीं है।

पत्रिका के आलेखों या छायाचित्रों (फ़ोटो एजेंसियों के छायाचित्रों को छोड़कर) का, स्रोत का उल्लेख करके स्वतंत्रता से पुनःउपयोग किया जा सकता है। लिखित सूचना का स्वागत होगा।

सभी पत्र व्यवहार निम्न पते पर किये जाएं:-

Neelam Agnihotri
Communications & Information Unit
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
Subregional Office for South Asia
Theatre Court, 3rd Floor
Ind ia Habitat Centre
Lodi Road, New Delhi&110003
Tel: 011&24602101&02&03
email: sro&delhi@ilodel.org

मुद्रक: विबा प्रेस प्रा. लि.,
नई दिल्ली-110020
आईएलओ ट्यूरिन द्वारा प्रकाशित
आईएसएसएन : 1020-0010

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए तेज कार्रवाई करें

आईएलओ द्वारा वर्ष 2006 में बाल श्रम पर जारी दूसरी वैश्विक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस सकारात्मक प्रवृत्ति से प्रोत्साहित होते हुए संगठन ने एक सपना देखा। यह सपना था, वर्ष 2016 तक बाल श्रम के निकृष्ट रूपों का उन्मूलन किया जाए। पर चार साल बाद यानी 2010 में जारी की गई तीसरी वैश्विक रिपोर्ट ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। हालांकि बाल श्रम में गिरावट आ रही है, लेकिन गिरावट की दर बहुत धीमी है। अगर विभिन्न देश इसी प्रकार कार्य करते रहे तो वर्ष 2016 तक यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हमें अपने काम की रफ्तार को बढ़ाना होगा। आर्थिक मंदी न तो हमारी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ सकती है और न ही हमारे प्रयासों में रुकावट ला सकती है।

पृष्ठ 4

© आईएलओ

कवर स्टोरी

बाल श्रम की वैश्विक चुनौती : लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम 4

फोटो रिपोर्ट

बाल श्रम के चेहरे 7

सामान्य लेख

शिपयार्ड से रीन्यूएबल एनर्जी केंद्र तक : जब नौकरियों का रंग बदलेगा 17

सहकारी संघ और आर्थिक संकट : हमारे ग्राहक ही हमारे स्वामी हैं 21

बौद्धिक विकलांगों को गरीबी से बाहर निकालना 25

कम प्रीमियम, अधिक लाभ : गरीब महिलाओं को क्यों चाहिए लघु बीमा 29

फीचर

समाचार 32
- वैश्विक रोजगार घाटे को कम करने का आग्रह
- अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनः रोजगार बहाली के लिए मजबूत कार्रवाई का आह्वान
- आईएलओ संचालन निकाय ने चुना नया अध्यक्ष
- संस्था की स्वतंत्रता
- आसियान की बहाली की दिशा में चुनौतियां

महाद्वीपों के इर्द-गिर्द 42

नए प्रकाशन 44

1919 में गठित, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अपने 175 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है ताकि विश्व भर में जीवन और कार्य की परिस्थितियों तथा संरक्षण में सुधार के लिए एक समान कार्रवाई की जा सके। जेनेवा में स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, संगठन का स्थायी सचिवालय है।

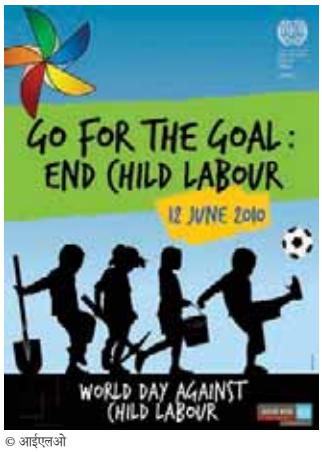

© आईएलओ

बाल श्रम की वैश्विक चुनौती : लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम

बाल श्रम, विशेष रूप से बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के खिलाफ विश्व अभियान दोराहे पर है। चार साल पहले इस समस्या की एक आशावादी संभावना दिखाई दी थी। लेकिन हाल ही जारी की गई एक विश्व रिपोर्ट में वर्ष 2016 तक बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के उन्मूलन के लक्ष्य पर शंका जताई गई है।[1]आईएलओ की इस वैश्विक रिपोर्ट में बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष की गति तेज करने का आह्वान किया गया है। इसी वर्ष हेग में नीदरलैंड्स सरकार द्वारा बाल श्रम पर आयोजित एक सम्मेलन में रिपोर्ट के मुख्य संदेशों को प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन ने वर्ष 2006 में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोडमैप को मंजूर किया। प्रस्तुत रिपोर्ट आईपैक निदेशक कोस्टांस थॉमस ने तैयार की है और इसमें बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा है।

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

जेनेवा- आईएलओ द्वारा वर्ष 2006 में बाल श्रम पर जारी दूसरी वैश्विक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस सकारात्मक प्रवृत्ति से प्रोत्साहित होते हुए संगठन ने एक सपना देखा। यह सपना था, वर्ष 2016 तक बाल श्रम के निकृष्ट रूपों का उन्मूलन किया जाए। पर चार साल बाद यानी 2010 में जारी की गई तीसरी वैश्विक रिपोर्ट ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। हालांकि बाल श्रम में गिरावट आ रही है, लेकिन गिरावट की दर बहुत धीमी है। अगर विभिन्न देश इसी प्रकार कार्य करते रहे तो वर्ष 2016 तक यह सपना पूरा नहीं हो पाएगा।

नई रिपोर्ट कहती है कि पिछले चार सालों में बाल श्रम में केवल तीन प्रतिशत की गिरावट हुई है। 21 करोड़ 50 लाख बच्चे अब भी बाल श्रम को मजबूर हैं जिनमें से 11 करोड़ 50 लाख बच्चे जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा गिरावट 5-14 आयु वर्ग में देखी गई है, जहां बाल श्रमिकों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आई है। जोखिमपूर्ण काम करने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है। फिर भी लड़कों में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है और लड़कियों के बीच घट रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों में बाल श्रम का प्रतिशत बढ़ रहा है। यह वृद्धि 20 प्रतिशत के करीब है। इनमें ज्यादातर वे बच्चे आते हैं जो रोजगार की न्यूनतम आयु पार कर चुके हैं लेकिन उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो जोखिमपूर्ण माने जाते हैं।

इस रिपोर्ट में चेतावनी के साथ-साथ कार्रवाई के लिए आह्वान भी किया गया है। हालांकि वर्ष 2016 का लक्ष्य हासिल

[1] *आईएलओ : एसेलरेटिंग ऐक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, महानिदेशक की रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 99 वां सत्र, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा, 2010 निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_126752.pdf*

करने की गति धीमी है लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है। बाल श्रम का उन्मूलन संभव है और अगर इच्छाशक्ति है तो हम इसका वहन कर सकते हैं। आईएलओ ने अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में बाल श्रम को खत्म करने की लागत इससे होने वाले आर्थिक लाभों के मामले में 6.7 के मुकाबले एक बैठती है। लेकिन इसकी लागत उस रकम से कम बैठती है, जो वित्तीय संकट के दौर में सरकारों ने कमर्शियल बैंकों को बचाने के लिए खर्च की थी। यह केवल महत्वाकांक्षाओं और राजनैतिक इच्छाशक्ति की बात है।

रिपोर्ट बाल श्रम से निपटने के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है : अफ्रीका और दक्षिण एशिया में बाल श्रम की भयावह दर, कृषि क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत और बाल श्रम के 'गुप्त रूपों' से, जिन्हें निकृष्ट रूपों में शामिल किया जाता है, निपटना। अब यह सरकारों द्वारा प्रतिबद्धता दिखाने और बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का समय है।

क्षेत्रीय प्रवृत्ति

इस रिपोर्ट में पहली बार क्षेत्रवार प्रवृतियां प्रदर्शित की गईं। सबसे अधिक कमी अमेरिका में देखी गई, जबकि अफ्रीका में सबसे कम गिरावट हुई। अफ्रीका में यूं भी सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं। यहां हर चार में से एक बच्चा मजदूरी कर रहा है।

दूसरा क्षेत्र, जहां गंभीर स्थिति बनी हुई है, दक्षिण एशिया है। यहां सबसे अधिक संख्या में बाल श्रमिक मिलते हैं और जहां सरकारों द्वारा बाल श्रम से संबंधित आईएलओ के समझौतों पर संपुष्टि किए जाने की जरूरत है। अरब क्षेत्र में हाल के अनुमान नहीं मिलते हैं, लेकिन आईपैक के पिछले अनुभव बताते हैं कि वहां के कई देश अब भी बाल श्रम की समस्या को झेल रहे हैं। इसके अतिरिक्त गरीबी, बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा का अभाव जैसी अन्य समस्याएं भी हैं।

वैश्विक आर्थिक और सामाजिक संकट के संभावित प्रभाव

वर्ष 2009 में आईपैक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर लड़कियां बाल श्रम को मजबूर हो जाएंगी। हालांकि इतनी जल्दी इस संबंध में व्यापक आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्व के अनेक हिस्सों में इस संकट के परिणाम धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं।

फिर भी पिछले अनुभवों के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निम्न वेतन वाले देशों में बाल श्रम की संख्या में बढ़ोतरी होगी, विशेषकर उन देशों के गरीब परिवारों में। मध्यम आय वाले देशों में, इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जीवन स्तर में गिरावट के साथ-साथ बच्चों के लिए रोजगार अवसरों में कमी आएगी। परिवारों की प्रतिक्रियाएं अच्छी तरह से काम करने वाले सामाजिक सुरक्षा तंत्रों पर निर्भर करेंगी।

जहां तक वर्ष 2016 के लक्ष्य को पूरा करने का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सरकारें इस संकट के कारण सामाजिक क्षेत्र में कटौती उपाय करेंगी या वे राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए बाल श्रम उन्मूलन को प्राथमिकता देकर, उसे भविष्य के विकास के लिए किया जाने वाला निवेश मानेंगी।

इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुदृढ़ कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जैसे रोजगार की न्यूनतम आयु होने तक अच्छी शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों (जो गरीब परिवारों की मदद करें कि वे अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने दें) में वृद्धि के माध्यम से सामाजिक धरातल का निर्माण, वयस्कों को उत्कृष्ट श्रम के अवसर प्रदान करके गरीबी से निपटना और बाल श्रम पर आईएलओ समझौतों को सरकारों की संपुष्टि और कार्यान्वयन। इस संदर्भ में नियोक्ता, श्रमिक संगठन और नागरिक समाज के संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

हम यह जानते हैं कि जब सही नीतिगत फैसले किए जाते हैं तो बाल श्रम में कमी आती है। समझौतों की संपुष्टि में भी बढ़त देखी गई है। समझौता संख्या 182 को स्वीकृति देने के एक दशक बाद, अब हम उसकी सार्वभौमिक संपुष्टि के काफी करीब पहुंच गए हैं- इस समझौते पर आईएलओ के 183 देशों में से केवल 12 देशों की संपुष्टि बाकी है। इसके अलावा रोजगार >>

© एम.क्रोनेट/आईएलओ

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

>> की न्यूनतम आयु पर केंद्रित समझौते, संख्या 138, को 155 सदस्य देशों की संपुष्टि मिल चुकी है। लेकिन यह तस्वीर जितनी सुखद लगती है, उतनी दुखद बात यह है कि विश्व के एक तिहाई बाल श्रमिक उन देशों में रहते हैं, जिन्होंने इन मूलभूत आईएलओ समझौतों को संपुष्टि नहीं दी है। इसी प्रकार, अनेक देशों ने समझौतों की संपुष्टि के बाद उन्हें लागू करने के लिए कोई ठोस और व्यावहारिक कार्रवाई नहीं की है।

बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष में आईएलओ का नेतृत्व

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आईएलओ का शीर्ष नेतृत्व कटिबद्ध है। इस स्थिति में बाल श्रम के खिलाफ विश्व अभियान में फिर से जान फूंकने की जरूरत है। आईएलओ को अपने त्रिपक्षीय संघटकों, सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों को साथ मिलकर नेतृत्व संभालना होगा और विश्व स्तर पर अभियान चलाकर समर्थन जुटाना होगा। हमें गठबंधन को बढ़ाना होगा और उसे सुदृढ़ करना होगा। आईएलओ की उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची को आधार बनाकर, आईपैक को संगठन के संघटकों को समर्थन देना होगा जिससे बाल श्रम के मुद्दे को राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में एकीकृत किया जा सके।

हमें अपनी कार्रवाई तेज करनी होगी। आर्थिक मंदी न तो हमारी महत्वाकांक्षाओं को तोड़ सकती है और न ही हमारे प्रयासों में रुकावट ला सकती है। इसके विपरीत यह आर्थिक बहाली और दीर्घकालीन विकास के लिए नीतिगत उपाय करने का अवसर प्रदान करती है। आईपैक इन प्रयासों को समर्थन दे सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समभाव और संसाधनों द्वारा मदद प्रदान किए जाने की जरूरत होगी। लेकिन आईएलओ अकेले यह सब नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट में सहभागिता के महत्व पर बल दिया गया है, जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच भागीदारी और दक्षिण दक्षिण समन्वय।

बाल श्रम की जड़ में गरीबी है। इसलिए इस समस्या से निपटना का तरीका भी स्पष्ट है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का और वयस्कों को उत्कृष्ट श्रम का मौका मिले और संवेदनशील परिवारों को सामाजिक संरक्षण प्रणालियों का लाभ मिले, खासकर संकट के दौर में। बाल श्रम से संबंधित कानूनों के प्रवर्तन के साथ इन उपायों को लागू करके, इस समस्या का समाधान तलाशा जा सकता है।

जेनेवा में आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया, अमेरिकी सीनेटर टॉम हारकिन और बाल श्रम के खिलाफ विश्व अभियान के अध्यक्ष कैलाश सत्यार्थी

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

बाल श्रम के चेहरे...
अफ्रीका से एशिया और अमेरिका तक

बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन फिर भी यह समस्या मौजूद है और विश्व को भय से भर रही है। आंकड़े कहते हैं कि पिछले दस सालों में बाल श्रमिकों की संख्या में तीन करोड़ की कमी आई है। लेकिन वही आंकड़े यह भी कहते हैं कि विश्व स्तर पर 21 करोड़ 50 लाख बच्चे अब भी मजदूरी करने को मजबूर हैं।

वर्ष 2006 में बाल श्रम उन्मूलन की गति को देखते हुए विश्व समुदाय ने एक लक्ष्य रखा था : दस सालों के भीतर बाल श्रम के निकृष्ट रूपों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन हाल के वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। अब भी बहुत से बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं जिन तक पहुंचना बनाना बहुत मुश्किल है।

मार्च और मई 2010 के दौरान नोम पेंह की एक पत्रकार एलाइन मूर और आईएलओ के फोटोग्राफर मार्सेल क्रोजेट ने तीन महाद्वीपों के तीन देशों का दौरा किया। यहां दिए गए उदाहरणों से यह पता चलता है कि अगर बाल श्रम पर काबू पाने की इच्छाशक्ति है तो समस्या से निपटा भी जा सकता है। लेकिन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने और बाल श्रम के खिलाफ एकीकृत नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने की जरूरत है।

सभी फोटो पेज 8-9: © ए.डी./आईएलओ

कंबोडिया में बाल श्रम : एक नई दिशा

हालांकि कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी यहां 31 लाख 30 हजार बच्चे बाल श्रम के सबसे निकृष्ट रूपों, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति में फंसे हुए हैं। लेकिन देश में बाल श्रम के सभी बदतर रूपों का उन्मूलन संभव है और कंबोडिया की सरकार ने सामाजिक भागीदारों के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश के भीतर समर्थन जुटाने के साथ-साथ दाताओं से निरंतर वित्तीय सहायता हासिल करना भी जरूरी है। इसी प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कंबोडिया का प्रत्येक बच्चा उस जिंदगी की शुरुआत कर सकेगा, जो उसे हासिल होनी चाहिए।

कंबोडिया की राजधानी नोम पेंह की एक गर्म दोपहरी। यहां के मशहूर गोल्डन रॉयल पैलेस के पास की एक सड़क पर 10 साल की एक बच्ची सैलानियों को सामान बेच रही है। इस बच्ची का नाम लीप है और उसने एक टोकरी में नाश्ते का बहुत सारा सामान, राइस केक और मिठाइयां भरी हुई हैं। उसकी टोकरी बहुत भारी है और उसे उठाना लीप के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी वह टोकरी उठाए-उठाए धूल भरी सड़क पर दौड़ रही है।

नाश्ता बेचते हुए लीप को पांच घंटे हो गए हैं। जब तक उसका सारा नाश्ता बिक नहीं जाता, लीप घर नहीं जा सकती- शायद आधी रात तक, उसे अकेले ही काम करना है। वह कभी स्कूल नहीं गई और अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो आज वह कम से कम दो डॉलर कमा लेगी। लीप कहती है, उसके पास काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वह काम करना बंद कर देती है तो उसकी मां और छोटे भाई को भूखों मरना पड़ेगा।

शहर की दूसरी तरफ सात साल का डूंग पिआकत्रा नदी किनारे कूड़े के ढेर पर बैठा है। वह प्लास्टिक के सामान बीन रहा है जिसे रीसाइकिल किया जा सके। उसके पिता की मौत हो चुकी है और मां घर पर उसके छोटे भाई की देखभाल करती है। अपने परिवार को चलाने के लिए डूंग को काम करना ही पड़ेगा।

कंबोडिया में शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ी है लेकिन बाल श्रम अब भी कायम है। लीप और डूंग उन्हीं बच्चों में शामिल हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं। हालांकि प्राइमरी स्कूलों में भर्ती की दर वर्ष 1997 में 75 प्रतिशत से वर्ष 2005 में 91 प्रतिशत हो गई है लेकिन अधिकतर बच्चे स्कूल जाने के साथ-साथ काम भी करते हैं।

आईएलओ का यह मकसद है कि गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जाएं जिससे बच्चों पर उनकी निर्भरता कम या समाप्त हो जाए। आईपैक का कार्यक्रम गरीब परिवारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे एक साथ मिलकर अपने बचत समूह चलाएं।

दक्षिण कंबोडिया के एक छोटे से गांव की महिलाएं बताती हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक बचत समूह शुरू किया। आज उसी की मदद से वे अपने कारोबार चला रही हैं और वित्त व प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण भी हासिल कर रही हैं। 60 वर्ष की पैन हेन कहती हैं, 'इस समूह के गठन से पहले स्थिति एकदम अलग थी। तब बच्चों को भी काम करना पड़ता था। जब मैं गांव के धनिक से कर्ज लेती थी तो मुझे हर महीने 20 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। अब मैं खुद कमाती हूं और अगर अपने समूह से कर्ज लेती हूं तो सिर्फ तीन प्रतिशत ब्याज देना होता है।' पैन ने समूह से 40 हजार रियाल (10 अमेरिकी डॉलर) का कर्ज लिया और उससे कारोबार शुरू किया। अब वह मिठाइयां बनाकर, गांव के बाहर एक फैक्ट्री में रोजाना उन्हें बेचती है। 'अब मेरे परिवार के छह बच्चे स्कूल जाते हैं।' वह कहती है।

अधिकतर परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन जब वे बच्चे कमाना छोड़ देते हैं तो परिवार मुश्किल में पड़ जाता है, खासकर जब घर में कोई हादसा हो जाए जैसे परिवार के किसी सदस्य की मौत या परिवार में किसी बच्चे का जन्म।

बोलीविया में बाल श्रम का उन्मूलन

शिक्षा का महत्व

सभी फोटो पेज 10-11: © एम.क्रोजेट/आईएलओ

शिक्षा बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन केवल शिक्षा जरूरी नहीं है। बोलीविया के इस फीचर के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ वयस्कों को उत्कृष्ट श्रम देना कितना जरूरी है। इसके लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की अपेक्षा है।

11 साल की जुआनितो एविलो एरी का परिवार सात साल पहले बोलीविया के दक्षिणी शहर पोतोसी पहुंचा तो उनकी हालत बहुत खराब थी।

जुआनितो के परिवार में उसके माता-पिता और छह भाई बहन हैं। गांव में उनके पास खेती के लिए एक छोटी सी जमीन थी। इतने बड़े परिवार का भरण-पोषण करना जब उसके पिता के लिए मुश्किल हुआ तो वह परिवार को लेकर पोतोसी पहुंच गए। वहां सेरो रिको के पहाड़ों की खानों में पिता ने खनिक की नौकरी कर ली और मां ने गार्ड की। वे दोनों लंबे समय तक काम करते और जुआनितो और उसके भाई बहन कैंप में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते। जब उसके बड़े भाइयों ने अपने-अपने परिवार बसाने के बाद घर छोड़ दिया तो जुआनितो और उसके दो छोटे भाई एकदम अकेले पड़ गए। अगर सेप्रोमिन नाम का गैर सरकारी संगठन जुआनितो की मदद नहीं करता तो वह और उसके भाई भी सैकड़ों नन्हें बाल मजदूरों की तरह खान में काम करने को मजबूर हो गए होते। वे भी संकरी सुरंगों में जोखिमपूर्ण तरीके से काम कर रहे होते।

सेप्रोमिन पोतोसी की खानों में काम करने वाले परिवारों और उनके बच्चों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम चलाता है। जुआनितो और उसके भाई उन 450 बच्चों में शामिल हैं जिन्हें इस कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल हो और उन्हें अच्छा खाना मिले। इसके अलावा वे अच्छी शिक्षा भी हासिल करें। कार्यक्रम

में वयस्कों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान का प्रयास किया जाता है। इस पहल से स्थितियों में सुधार आया है।

जुआनितो कभी स्कूल नहीं गई थी लेकिन अब वह अपनी कक्षा के सबसे तेज बच्चों में से एक है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने और अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती है। बेशक, वह एक खुशकिस्मत बच्ची है।

सभी फोटो, पेज 12-13 © एम.क्रोजेट/आईएलओ

संवर रहा है माली के बाल श्रमिकों का भविष्य

यह आंकड़ा चौंका देने वाला है कि माली में हर तीन में से दो बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं। ये बच्चे 5 से 17 साल के बीच के हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंचता है। आंकड़े यह भी कहते हैं कि 5 से 14 साल के बीच के 40 प्रतिशत बच्चे जोखिमपूर्ण काम करते हैं। इनमें से बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं और प्रवासी बच्चियों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है।

'जब मैं पहली बार मोउना से मिला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ नौ साल की है... उसका दुबला पतला शरीर बताता था कि वह एक बच्ची है लेकिन उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वह एक बूढ़ी औरत है।' आईएलओ के फोटोग्राफर मार्सेल क्रोजेट दुख से भरकर कहते हैं। सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक मोउना दुएंत्जा गांव के एक घर में घरेलू नौकरानी का काम करती है।

हर महीने सिर्फ दो हजार फ्रैंक्स सीएफए (3.05 यूरो) के लिए वह परिवार के बच्चों की देखभाल करती है, खाना पकाती है, कुएं से पानी भरकर लाती है, बर्तन धोती है और घर साफ करती है। आज वह एवेस नाम के गैर सरकारी संगठन की मदद लेने के लिए आई है क्योंकि उसे पिछले चार महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उसे रोज पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। इस संगठन का एक प्रतिनिधि कल उसके साथ जाएगा और उसे काम पर रखने वाले परिवार के साथ बातचीत

करेगा। इस तरह का हस्तक्षेप कई बार बहुत फायदेमंद साबित होता है।

अगले दिन सुबह छह बजे हम एक लैंडलेडी से मिलने गए। वहां हमें 15 साल की अवा मिली। अवा भी एक घरेलू नौकरानी है। उस महिला ने 12 वर्ग मीटर के एक कमरे, जिसमें खिड़की तक नहीं है, में अवा जैसी 15 लड़कियों को रखा हुआ है। ये लड़कियां उस महिला के ही गांव की हैं। ये लड़कियां कमरे में दरी बिछाकर सोती हैं और उनके सामान प्लास्टिक के एक बैग में भरे हुए हैं।

इस समय अपने कमरे में अवा अकेली है। बाकी की लड़कियां काम पर गई हुई हैं। तीन दिनों से अवा मलेरिया बुखार से तप रही है। इस समय संगठन की तरफ से एक डॉक्टर अवा की जांच कर रहा है।

माली में आईएलओ का सहभागी संगठन एवेस लड़कियों के प्रवास को रोकने और उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन शोषण से बचाने के लिए काम कर रहा है।

संगठन की दूसरी गतिविधियों में शामिल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय अर्जित करने की गतिविधियों को बढ़ावा देना। आईएलओ आईपैक सरकार, नियोक्ता व श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है जिससे इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया जा सके।

आईएलओ के अनेक कार्यक्रमों से माली के 50 हजार से अधिक बच्चे, जिनमें 35 हजार बच्चियां शामिल हैं, लाभान्वित हुए हैं। खेतों में काम करने वाले बहुत से बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा दी जा रही है। इससे वे न केवल खतरनाक परिवेश से मुक्त हो रहे हैं बल्कि उनके परिवारों पर उनकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ रहा।

गरीबी और बाल श्रम के चक्र को तोड़ना

बाल श्रम, खासकर उसके सबसे बुरे रूप, अब भी बहुत सामान्य सी बात है। इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए और सोचिए कि किस प्रकार हम मिल-जुलकर इस चक्र को तोड़ सकते हैं। इसके लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और बड़ों को अच्छा काम देना तो जरूरी है ही, परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी अनिवार्य है।

सभी फोटो पेज 14-18: © एम.क्रोजेट/आईएलओ

शिपयार्ड से रीन्यूएबल एनर्जी केंद्र तक : जब बदलेगा नौकरियों का रंग

आज दुनिया जिस दोहरी चुनौती का सामना कर रही है, उससे निपटने के लिए संसाधनों और कल्पनाशीलता की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख यही प्रदर्शित करता है। लेख के अनुसार, हमें कार्बन के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, साथ ही साथ मंदी पर काबू पाते हुए रोजगार सृजन का प्रयास करना होगा। ओडेंसे, डेनमार्क से ब्रिटिश पत्रकार एंड्रयू बिबी की रिपोर्ट।

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

ओडेंसे - डेनमार्क के उत्तर-पश्चिमी शहर ओडेंसे के लिंडो शिपयार्ड ने पिछले 90 सालों में कई शानदार जहाजों का उत्पादन किया। इनमें वे आठ बड़े कंटेनर शिप भी शामिल हैं जो विश्व के महासागरों में सबसे अधिक सफर करते हैं। लेकिन अब यहां ढांचागत परिवर्तन किया जा रहा है जिसका अर्थ यह है कि लिंडो का जहाज निर्माण का दौर जल्द समाप्त हो जाएगा। इस यार्ड को साल 2012 में बंद कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप आठ हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी।

इस जगह पर लिंडो ऑफशोर रीन्यूएबल्स सेंटर (एलओआरसी) चलाया जाएगा। हाल ही में इस केंद्र को ढाई करोड़ डैनिश क्रोना (40 लाख अमेरिकी डॉलर) का अनुदान भी दिया गया है जिसकी मदद से यह केंद्र यूरोप के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक बन सकेगा। एलओआरसी के अध्यक्ष हैं डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पाउल नाइरुप रेसमुसेनस। वह इस केंद्र को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वह कहते हैं, 'एलओआरसी के गठन के बाद इस क्षेत्र में भविष्य में रोजगार सृजन होगा। समुद्र से रीन्यूएबल एनर्जी पैदा करके हम अपने पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं और हजारों नौकरियों का सृजन कर सकते हैं।

आईएलओ भी हरित रोजगार के सृजन को बहुत महत्व देता है। वर्ष 2008 में हरित रोजगार से संबंधित पहल के तहत आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अलावा अंतरराष्ट्रीय नियोक्ता संगठन (आईओई) और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ परिसंघ (आईटीयूसी) ने मिलकर एक अनूठी सहभागिता की थी जिसके तहत अर्थव्यवस्था को हरित करने के लिए सुसंगत नीतियों को विकसित किया गया।

इस भागीदारी के बाद ग्रीन जॉब्स : टुवर्ड्स डीसेंट वर्क इन अ सस्टेनेबल, लो कार्बन वर्ल्ड नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की गई।[1] इस रिपोर्ट ने निम्न कार्बन वाले दीर्घकालीन समाज में न्यायपरक संक्रमण के लिए आवश्यक विस्तृत विश्लेषण करने में सहायता प्रदान की। इस रिपोर्ट से यह आशा जगी कि निम्न कार्बन वाले दीर्घकालीन समाज में संक्रमण से अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में हरित रोजगार का सृजन होगा और यह तरक्की का रास्ता खोलेगा।

लेकिन इस संक्रमण को लेकर एक चेतावनी भी दी गई और इस बात की तरफ इशारा किया गया कि कुछ मौजूदा नौकरियां अभी से खतरे में पड़ गई हैं। बहुत से श्रमिक और समुदाय खनन, फॉसिल फ्यूल और स्मोकस्टैक्स उद्योगों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दों को लक्षित करने में कम दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों को भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

[1] *आईएलओ, यूएनईपी, आईओई, आईटीयूसी : ग्रीन जॉब्स : टुवर्ड्स डीसेंट वर्क इन अ सस्टेनेबल, लो कार्बन वर्ल्ड (जेनेवा, 2008)*

>>

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

हरित नौकरियों में निवेश के लिए सही समय

>> आईएलओ के कीस वान डेर री के लिए इन मुद्दों को लक्षित बहुत जरूरी है। वह कहते हैं, 'कुछ लोग यह कह सकते हैं कि आज जब विश्व पर मंदी का असर है और बेरोजगारी की दर उच्च है, निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सही समय नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह हरित नौकरियों में निवेश का सही समय है। ढांचागत निवेश उन मुख्य तरीकों में से एक है जिनकी मदद से हम वृद्धि को दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं और रोजगार सृजन कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए किया जाने वाला निवेश आने वाले समय में रोजगार के लिए भी बहुत लाभप्रद रहने वाला है।'

वह निर्माण उद्योग के उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। यह वह क्षेत्र है जिसमें कार्बन उत्सर्जन मे सबसे अधिक कटौती करने की क्षमता है। वह कहते हैं, 'इस क्षेत्र में सिर्फ उच्च पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए नई इमारतों को डिजाइन करना और बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग करना भी है। इसके लिए आईएलओ विभिन्न सरकारों, जैसे दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ काम कर रही है।'

वान डेर रीस संक्रमण की प्रक्रिया के लिए विश्व स्तर पर संरचनागत प्रस्ताव के महत्व पर बल देते हैं। 'हरित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना और हरित नौकरियों का सृजन स्वतः नहीं हो जाएगा। इस लाभ को हासिल करने के लिए सुसंगत नीतियों की जरूरत है।' वह कहते हैं।

हरित नौकरियों के लिए दक्षता

आईएलओ जिस क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुका है, वह है क्षमता निर्माण। मई में आईएलओ मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला स्किल्स फॉर ग्रीन जॉब्स में लोगों ने भाग लिया और

© PHOTODISC

© MORGUEFILE.COM

जाना कि कार्य के नए, हरित क्षेत्रों में दक्षता अंतराल को कैसे पाटा जा सकता है। भविष्य में जिस नई दक्षता की जरूरत होगी, उससे संबंधित प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी हासिल की।

आईएलओ के स्किल्स डेवलपमेंट एंड इंप्लॉयबिलिटी डिपार्टमेंट की ओल्गा स्ट्रीटेस्का-इलिना कहती हैं, 'हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए हरित नौकरियों से संबंधित दक्षता अनिवार्य है। जो अर्थव्यवस्थाएं हरित रोजगार की ओर बढ़ रही हैं, उनमें रोजगार सृजन की अद्भुत क्षमता होगी लेकिन उन्हें ढांचागत बदलाव और मौजूदा रोजगार के रूपांतरण का भी सामना करना होगा। सफल रूपांतरण के लिए प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण दक्षता की समयाबद्ध आपूर्ति अपरिहार्य है जो उत्पादकता, रोजगार वृद्धि और विकास की रक्षा करे।

स्ट्रीटेस्का-इलिना के अनुसार, उन क्षेत्रों को अलग करके देखा जा सकता है जहां ढांचागत बदलाव किए जाएंगे और इसीलिए यहां पुनःप्रशिक्षिण की जरूरत पड़ेगी। इनमें कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र, खनन उद्योग और फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन और निर्माण, विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग, शिपबिल्डिंग और नौवहन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र आते हैं। स्ट्रीटेस्का-इलिना बताती हैं, इसके लिए पुरानी दक्षता के साथ नई नौकरियों को जोड़ा जा सकता है। जैसे गैर फॉसिल फ्यूल एनर्जी से चलने वाली बस को अब भी वही पुराना ड्राइवर चला रहा है। कई बार ऑन द जॉब लर्निंग या छोटे पाठ्यक्रम चलाना भी पर्याप्त होता है : एक उदाहरण यह है कि एक वेल्डर विंड टरबाइन प्रॉडक्शन में काम कर रहा है।

दूसरे बदलावों के लिए अधिक प्रशिक्षण या पुनःप्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। एक कार मैकैनिक को पेट्रोल से चलने वाली कार की बजाय इलेक्ट्रिक कार की मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार उभरते हुए क्षेत्रों जैसे सोलर एनर्जी में टेक्नीशियनों को निरंतर प्रशिक्षण या विश्वविद्यालयी स्तर के अध्ययन की जरूरत होगी। स्ट्रीटेस्का-इलिना के अनुसार, 'श्रमिकों को नई तकनीक और नए नियमों की जानकारी की जरूरत होगी। मौजूदा रोजगारों में निम्न और मध्यम दर्जे की दक्षता की जरूरत होगी, जबकि उभरते हुए रोजगारों में उच्च स्तर की योग्यता की जरूरत होगी।'

छोटी अवधि में, कार्बन गहन उद्योगों में गिरावट से इन क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती हो सकती है। स्ट्रीटेस्का-इलिना कहती हैं कि इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, हालांकि नए निम्न कार्बन बाजार से उत्पन्न होने वाले नए रोजगार अवसरों से बेरोजगारी बढ़ भी सकती है। संभव है कि जिन लोगों को हरित रोजगार प्राप्त हों, जरूरी नहीं है कि वे वही लोग हों जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हों। हरित अर्थव्यवस्था में निर्बाध और न्यायपरक संक्रमण के लिए पुनःप्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। निम्न दक्षता वाले लोग यूं भी अति संवेदनशील होते हैं और श्रम बाजार में वंचित समूहों को सहायता की जरूरत होगी।

हरित नौकरियों को सुरक्षित बनाना

क्षमता निर्माण तो हरित रोजगार का सिर्फ एक पहलू है। व्यवसायगत सुरक्षा व स्वास्थ्य इसका दूसरा आयाम है, विशेष >>

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

>> रूप से कचरे के प्रबंधन और रीसाइकिलिंग जैसे क्षेत्रों में, जहां श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है। यहां हालिया गतिविधियों ने जमीनी स्तर पर वास्तविक तरक्की लाने में सहायता दी है।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आईएलओ द्वारा चलाए गए एक अभियान के तहत प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार की गई है जिसका नाम है वर्क एडजस्टमेंट फॉर रीसाइकिलिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट (वॉर्म)। यह उन श्रमिकों पर केंद्रित है जो कचरा इकट्ठा करते हैं। फिजी में इस पुस्तिका के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके बाद दूसरे एशियाई और प्रशांत देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उन तरीकों के बारे में बताया गया जिसकी मदद से सामुदायिक ऊर्जा के माध्यम से श्रमिकों द्वारा रीसाइकिलिंग और कचरे के निस्तारण के काम को सुरक्षित तरीके से किया जा सके।

आईएलओ के संघटक बांग्लादेश से लेकर केन्या और गुयाना तक, विश्व के अनेक देशों में ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन के रोजगार और सामाजिक आयामों और हरित अर्थव्यवस्था को लक्षित करने के लिए मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष समर्थन जुटा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप हरित रोजगार कार्यक्रम विस्तार पा रहा है और आईएलओ व संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत (ट्यूरिन में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में) ज्ञान प्रबंधन व क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इन गतिविधियों में संलग्न कीस वान डेर री जैसे लोगों के लिए एक ही संदेश है। उत्कृष्ट श्रम में हरित नौकरियों को एकीकृत करना। वह कहते हैं, 'जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। हम अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के रूपांतरण की बात कर रहे हैं। निम्न कार्बन वाले दीर्घकालिक समाज में समानता भी होनी चाहिए। हरित नौकरियां दो बड़े नैतिक सवालों को खड़ा करेगी : एक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है और दूसरा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से। लंबी अवधि में यह मनुष्यों के लिए दीर्घकालिक है। मैं समझता हूं कि एक के बिना दूसरे को हासिल नहीं किया जा सकता।'

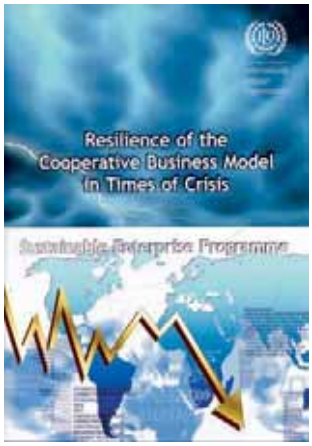

© आईएलओ

सहकारी संघ और आर्थिक संकट

'हमारे ग्राहक ही हमारे स्वामी हैं'

गहन वैश्विक आर्थिक व रोजगार संकट के दौर में सहकारी संघ समुत्थान का साधन होते हैं। स्वीडन से एंड्रयू बिबी की रिपोर्ट।

माल्मो- दक्षिणी स्वीडन के शहर माल्मो के आधुनिक कॉल सेंटर में एक और व्यक्ति कॉल कर रहा है। वह व्यक्ति बीमा के बारे में जानना चाहता है और कॉल सेंटर का एजेंट कंप्यूटर टर्मिनल पर बैठकर, हेडसेट के जरिए यह बताना शुरू करता है कि उपलब्ध बीमा योजनाओं की शर्तें क्या हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और ग्राहक बीमा प्रॉडक्ट खरीद लेता है।

हां, यह बातचीत स्विडिश में नहीं, कुर्दिश भाषा में की जाती है। स्वीडन के बीमा सहकारी संघ फोकसेम ने दस साल पहले बहुभाषी कॉल सेंटर का विचार दिया था। आज माल्मो का यह कॉल सेंटर सोमाली, फारसी, अरबी और पोलिश सहित 17 भाषाओं की कॉल्स लेता है। एक ऐसे देश में जहां हर पांच में से एक व्यक्ति प्रवासी है, यह एक समझदार कारोबारी सेवा है और फोकसेम के अनुसार, वह हर साल एक लाख से ज्यादा कॉल्स को हैंडिल करती है। इसी की वजह से स्वीडन के प्रवासी समुदाय के बीमा बाजार में फोकसेम का बहुत बड़ा हिस्सा है।

ऐसा नहीं है कि इस तरह के विचार लाने वाली कंपनी फोकसेम कोई उभरती हुई कंपनी है। स्वीडन के बीमा क्षेत्र में यह कंपनी 102 सालों से काम कर रही है।

आर्थिक और सामाजिक मूल्यों के साथ सामंजस्य बैठाना

कंपनी के मुख्य अधिकारी एंड्रेस सुदेंनत्रॉम कहते हैं कि फोकसेम की सफलता का राज उसके सामाजिक मूल्यों में छुपा

>>

© आर. लॉर्ड / आईएलओ

>> हुआ है। स्वीडन के प्रारंभिक सामाजिक व श्रमिक संघ अभियानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गठित की गई इस कंपनी ने दूसरी कंपनियों से अलग तरह से काम करना शुरू किया। इसकी संरचना ही अलग तरह से हुई। इसमें कोई शेयरहोल्डर नहीं हैं। इसकी बजाय यह सहकारी संघों व म्यूचुअल वित्तीय संस्थानों के बड़े परिवार के तौर पर काम करती है। जैसा कि कंपनी की वेबसाइट कहती है, आर कस्टमर्स आर ऑलसो आर ओनर्स। द प्रॉफिट डसनॉट गो टू शेयरहोल्डर्स, इट गोज विदइन द कंपनी एंड बेनेफिट अस ऑल। (हमारे ग्राहक ही हमारे स्वामी हैं। हमारे लाभ शेयरधारकों तक नहीं जाते, हमारे लाभ कंपनी को और उसके बाद सभी को जाते हैं)।

© होॅलगर एलगार्ड

सहकारी बैंक और बीमा कंपनियां खबरों से दूर रहती हैं। चूंकि वे शेयर की कीमतों की चिंता नहीं करतीं इसलिए कारोबार से जुड़ा मीडिया और विश्लेषक इसके प्रति आकर्षित नहीं होते। फिर भी बाजार में उनका हिस्सा महत्वपूर्ण होता है।

बाजार में सहकारी संघों के कारोबार का अंश

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल इंश्योरेंस फेडरेशन (आईसीएमआईएफ) के अनुसार, उदाहरण के लिए विश्व का 24 प्रतिशत बीमा बाजार सहकारी बीमा संघों के हाथ में है। आईसीएमआईएफ का सबसे बड़ा सदस्य जापान का बीमा सहकारी संघ जेंक्योरेन है। कृषि क्षेत्र में इसका प्रभुत्व है और हर साल यह कंपनी लगभग 4700 अरब येन (50 अरब अमेरिकी डॉलर) की वार्षिक प्रीमियम आय अर्जित करती है। आईसीएमआईएफ का दूसरा सदस्य कोलंबिया की कंपनी ला इक्विडाड और उससे संबंधित स्वास्थ्य बीमा कंपनी सालुडकूप है। अपने देश में इसका प्रभुत्व है।

बैंकिंग के क्षेत्र में अनेक देशों में ऐसी ही कंपनियां छाई हुई हैं। नीदरलैंड्स की आधी से ज्यादा आबादी रैबोबैंक से जुड़ी हुई है तो जर्मनी में सहकारी बैंकों ने सामूहिक स्तर पर तीन करोड़ ग्राहक जुटाए हुए हैं। एक हालिया सर्वे का कहना है कि यूरोप के रीटेल मार्केट में सहकारी बैंकों का हिस्सा 20 प्रतिशत है।

सदस्यों के स्वामित्व वाले बचत और ऋण आधारित सहकारी संघों के विश्वव्यापी नेटवर्क (जिन्हें क्रेडिट यूनियंस और साको भी कहा जाता है) भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियंस के अनुसार, इन संघों के 96 देशों (जिनमें से बहुत से विकासशील देश हैं) में 17 करोड़ 70 लाख सदस्य हैं और ये बचत और ऋण लेने की बहुत सरल और सुरक्षित सुविधा प्रदान करते हैं।

पिछले तीन सालों में वित्तीय संकट ने आर्थिक जगत का स्वरूप बदलकर रख दिया। इसके मद्देनजर दुनिया की निगाह इस वैविध्यपूर्ण व्यवसाय की तरफ गई जिसमें निवेशकों की बजाय सदस्यों और ग्राहकों को लाभ का अंश मिलता है। उदाहरण के लिए बिजनेस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने इस साल की शुरुआत में कहा कि हाल के वर्षों में सहकारी बैंकों ने यूरोप में अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। लगता है, इनके ग्राहकों को सुरक्षा और आश्वासन मिल रहा है। जर्मन सेंट्रल बैंक बंडेसबैंक द्वारा कराए गए हालिया अध्ययन में पाया गया कि सहकारी बैंक वित्तीय रूप से अधिक स्थिर होते हैं, शेयरहोल्डरों के स्वामित्व वाले संस्थानों के मुकाबले इनके विफल होने की आशंका कम होती है।

संकट के प्रति अधिक लचीले होते हैं सहकारी संघ

यह एक ऐसा विचार है जिसे दूसरे अध्ययनों में भी दोहराया जा सकता है और आईएलओ के हेगेन हेनरी इसी विचार का अनुमोदन करते हैं। आईएलओ की सहकारी शाखा (कोऑपरेटिव ब्रांच) के प्रमुख के रूप में वह सहकारी क्षेत्र को दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और खुलासा करते हैं कि इन वित्तीय संस्थानों की संरचना ही उन्हें भीतर तक मजबूत रखती है। वह कहते हैं, 'उपलब्ध सूचनाओं से जानकारी मिलती है कि अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी क्षेत्रों के सहकारी उद्यम पूंजी केंद्रित उद्यमों के मुकाबले बाजार के मौजूदा उतार-चढ़ावों के प्रति अधिक लचीले होते हैं। '

आईएलओ द्वारा हाल ही में कराए गए अध्ययन से ये जानकारियां मिली हैं, जिनका जिक्र हेगेन हेनरी कर रहे हैं। [1]दो मशहूर शिक्षाविदों ब्रिटेन के जॉनस्टन बिरकैल और कनाडा के लाऊ हेमंड केटिलसन ने यह अध्ययन किया है। इस अध्ययन से इस बात को बल मिलता है कि सहकारी संस्थानों ने हाल के वर्षों में निवेशकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों के मुकाबले मंदी से ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला किया है। ऐसा कैसे संभव हुआ, अध्ययन में यह भी बताया गया है। अध्ययन ने इसे सहकारी संघों की संरचना से जोड़ा है : 'निजी, निवेशक आधारित बैंकों के बेलआउट ने ग्राहक आधारित सहकारी बैंकिंग प्रणाली की खूबी की ओर इशारा किया है। ये

[1] *बिरकैल जे और हेमंड केटिलसन एल : रेसिलिएंस ऑफ द कोऑपरेटिव बिजनेस मॉडल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस (जेनेवा, आईएलओ, 2009)*

© एम क्रोनेट/आईएलओ

गरीबों तक बचत और ऋण आधारित सहकारी संघों की पहुंच अच्छी होती है

जोखिम से लड़ने में सक्षम होते हैं और निवेशक के लाभ और मैनेजरों के बोनस की चिंता से संचालित नहीं होते।'

दूसरे शब्दों में इस लोच की एक वजह यह होती है कि सहकारी संघ इस दबाव में काम नहीं करते कि उन्हें निवेश के रिटर्न को बढ़ाना है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य की ओर विशेष रूप से इशारा करती है जिन्हें लेकर सहकारी वित्तीय संस्थान चलते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष जीन लुइस बैंसेल कहते हैं, 'सहकारी संघों पर छोटी अवधि के लाभ को अधिक बनाने की बाध्यता नहीं होती जिन्हें वे अपने शेयरधारकों में बांट सकें। उनकी रणनीति लंबी अवधि की होती है।'

लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सहकारी व्यवसाय वित्तीय मंदी का शिकार होने से बच गए। जर्मनी में वर्ष 2008 में केंद्रीय सहकारी बैंक डीजेड को उच्च जोखिमपूर्ण निवेश के परिणामस्वरूप एक अरब यूरो का घाटा सहना पड़ा। अन्य जगहों के सहकारी संघों को भी व्यापारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वह भी बुद्धिहीन निवेश फैसलों की वजह से।

ग्लैमरविहीन कारोबारी मॉडल

सहकारी क्षेत्र में एक किस्म का संतोष होता है। इसके अलावा उसका ग्लैमरविहीन कारोबारी मॉडल ही उसकी असल कीमत होता है और मुश्किल दौर में उसे दीर्घकालिक बनाता है। कुछ मामलों में अनेक सालों में पहली बार सहकारी संघ अपनी सदस्य केंद्रित संरचना को सक्षम ग्राहकों के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी विशेषता और ईमानदारी पर बल दे रहे हैं।

अनेक सहकारी संघ नैतिक बैंकिंग और बीमा पर बल दे रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में कोऑपरेटिव फाइनांशियल सर्विस (बड़े मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेटिव ग्रुप का अंग) गुड विद मनी के नारे के साथ नैतिक तरीके से ऋण और निवेश पर जोर दे रहा है। फोकसेम भी बीमा फंडों में नैतिक तरीके से निवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। चार साल पहले रिस्पांसिबल इनवेस्टमेंट के जिन सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकृत किया था, उस पर फोकसेम ने ही संयुक्त राष्ट्र को परामर्श दिया था।

सहकारी संघ अभियान इस बात का संकेत देता है कि सामाजिक मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का यह अर्थ नहीं है कि सहकारी संघ लाभ नहीं कमाते। हेगेन हेनरी के अनुसार, 'इन मूल्यों को आईएलओ के उत्कृष्ट रोजगार और उत्कृष्ट श्रम से जोड़कर देखा जा सकता है।' वह कहते हैं, 'सहकारी संघ लोकतांत्रिक, जन केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं के करीब होते हैं जो आस-पास के वातावरण के प्रति सजग होते हैं, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय और न्यायोचित वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। ये संस्थान अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित रखने और गरीबी उन्मूलन करने में योगदान देते हैं। साथ ही सामाजिक >>

© एम क्रोनेट/आईएलओ

© एस.बेनैसा/आईएलओ

व पर्यावरणीय चिंता रखते हैं।

>>

आईएलओ की सिफारिश संख्या 193 की भूमिका

सहकारी संघों में आईएलओ की दिलचस्पी शुरुआत से है लेकिन वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने सहकारी संघों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सिफारिश (संख्या 193) मंजूर की। इस सिफारिश का मुख्य उद्देश्य आने वाले दशक में सहकारी संघों को विकसित करने संबंधी कानून, प्रशासनिक प्रणालियों और नीतियों के गठन में सरकारों को सहायता देना है। सिफारिश संख्या 193 यह सुनिश्चित करने में मदद देती है कि सहकारी संघों को जरूरी आधुनिक कानूनी ढांचा प्राप्त हो। इस सिफारिश को मंजूरी देने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को भी बल मिला कि सहकारी संघों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा, क्योंकि अनेक देशों के सहकारी संघ सरकार द्वारा प्रबंधित उद्यम बनकर रह गए हैं।

हेगेन हेनरी कहते हैं, सहकारी संघों के उपयुक्त कानूनी ढांचे की जरूरत को वैश्विक वित्तीय संकट के बाद निश्चयपूर्वक समझा जा सकता है। वह अनेक देशों के उदाहरण पेश करते हैं जहां सहकारी संघों के कानूनों और उन नियामक प्रणालियों के बीच सौहार्द्र कायम करने की पहल की गई है जो पूंजी केंद्रित कंपनियों पर लागू होते हैं। ये मेल लाभ देता है लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। वह कहते हैं, 'कंपनी कानूनों के साथ सहकारी संघों की एकरूपता सहकारी संघों को आर्थिक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। लेकिन यह एकरूपता सहकारी उद्यमों को, जो अपने सदस्यों के साथ लेन-देने के संबंधों पर आधारित होते हैं, ऐसे उद्यमों में बदल देती है जो अपने निवेश के आधार पर निवेशकों के साथ संबंध रखते हैं। इससे सहकारी संघों का संरचनात्मक चरित्र कमजोर पड़ता है।'

आईएलओ की सिफारिश संख्या 193 सरकारों से आग्रह करती है कि वे सहकारी संघों की संरचना और सामाजिक मूल्यों के लिए जरूरी समर्थन नीति और कानूनी ढांचा प्रदान करें। वित्तीय मंदी से पहले कार्य करने के लिए यह एक सीमांत क्षेत्र माना जाता था। आज सहकारी संघों की कीमत समझी जाती है। हेगेन हेनरी कहते हैं, 'पूंजी केंद्रित उद्यम ऐसी यार्डस्टिक नहीं होने चाहिए जिनके आधार पर सभी उद्यमों की तुलना की जाए।'

सहकारी संघों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत रखने का मौका जल्द आने वाला है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ वर्ष घोषित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) सहकारी संघों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि समन्वयात्मक मूल्यों और उन सात सिद्धांतों पर स्वीकृत वक्तव्य को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी निकाय है। इन्हीं सिद्धांतों पर सहकारिता अपना व्यवसाय संचालित करती है। आईसीए और आईएलओ सहाकारी संघों की एक ही परिभाषा प्रस्तुत करते हैं : समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से एकजुट हुए व्यक्तियों का स्वायत्त संगठन। स्वीकृत सिद्धांतों में शामिल है, लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक स्तर पर भेदभाव से मुक्त सदस्यता, जिसमें एक सदस्य-एक वोट के आधार पर समान वोटिंग अधिकार भी दिया जाए।

सहकारी संघों को प्रोत्साहित करने के लिए आईएलओ की सिफारिश संख्या 193 आह्वान करती है और अपने आह्वान में सहकारी कानूनों और सिद्धांतों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास के स्तंभों में से एक बताती है। वह कहती है :

'सहकारी संघों को राष्ट्रीय कानूनों और व्यवहार के अनुकूल और उन्हीं शर्तों पर निरूपित किया जाना चाहिए जो उद्यमों व सामाजिक संगठनों के दूसरे रूपों पर लागू होते हैं। जहां जरूरत हो, सरकारों को सहकारी संघों की गतिविधियों के लिए समर्थन उपाय प्रस्तावित करने चाहिए जो विशिष्ट सामाजिक और सार्वजनिक नीति परिणामों को पूरा कर सकें जैसे रोजगार को प्रोत्साहन या वंचित समूहों या क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियों का विकास।'

बौद्धिक विकलांगों को गरीबी से बाहर निकालना

बौद्धिक रूप से विकलांग लाखों लोग और उनके परिवार गरीबी और सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। मार्च 2010 में लुसाका, जांबिया में तीन दिवसीय सहायता कार्यक्रम संचालित किया गया जिसे आईएलओ-आयरलैंड का सहयोग प्राप्त था। इस कार्यक्रम में अनेक पूर्वी अफ्रीकी देशों, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बौद्धिक रूप से विकलांगों के लिए अवसरों की तलाश करना था। कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा की गई कि ये लोग किस प्रकार अपने समुदाय के दूसरे लोगों के साथ काम करें और किस प्रकार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे वे लोग गरीबी के गर्त से बाहर निकल सकें।

लुसाका- जैक्विलिन मिनचिन वेल्स के शहर एबेरीस्टविथ में पेनग्लेस कॉम्प्रेहेंशन स्कूल में सहायक क्लर्क हैं। वह बताती हैं, 'मैं काम पर जाना बहुत पसंद करती हूं। एक भी दिन छुट्टी नहीं लेना चाहती। मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ अलग तरह का काम करती हूं और अच्छी तरह से अपना काम करती हूं।' इसके अलावा वह हर हफ्ते किसी एक दिन सुबह अपना समय प्रीस्कूल में जाने वाले बच्चों के साथ बिताती हैं।

जैक्विलिन को डाउंस सिंड्रोम है पर वह एक एथलीट भी हैं। स्विमिंग उनका मुख्य स्पोर्ट्स है। वह पिछले 23 सालों से विशेष

>>

© आर. क्यूर./आईएलओ

>> ओलंपिक एथलीट हैं। पिछली बार उन्होंने ब्रिटिश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए माजोरका, स्पेन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स यूरोपियन स्विमिंग चैंपियनशिप्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता था।

जांबिया के शहर लिविंग्सटन के क्विंसी मविया भी बौद्धिक रूप से विकलांग हैं। वह इंक्लूजन इंटरनेशनल के परिषद सदस्य हैं। यह संगठन बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने वाला परिवार आधारित एक वैश्विक परिसंघ है। क्विंसी अफ्रीका नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट डिसेबिलिटी (एएनडीडी) और जांबिया एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज (जेडएसीएएलडी) के सदस्य भी हैं।

जैक्विलिन और क्विंसी, दोनों लुसाका में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने को बेकरार थे। वहां पहुंचकर वे अपनी-अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं से जुड़े अनुभवों को बांटना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे सम्मेलन में भाग लेने वाले दूसरे लोगों को बताएं कि बौद्धिक रूप से विकलांगों को किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे उस मंच पर अपने जैसे दूसरे लोगों की बात पहुंचाना चाहते थे। बौद्धिक रूप से विकलांग लोग अक्सर दिखाई नहीं पड़ते और उनकी कहानियां, उनके अपने जीवन पर कोई असर नहीं डालतीं। जैसा कि क्विंसी कहते हैं, मैं यह सपना देखता हूं कि बौद्धिक रूप से विकलांग लोग अपनी तमाम समस्याओं के समाधान तलाश सकें और उनमें से कोई भी अलग-थलग न रह जाए।

अपनी कहानियों के माध्यम से जैक्विलिन और क्विंसी यह बताना चाहते हैं कि दूसरे पहले उन्हें व्यक्ति, जैसे बेटी, बेटे, पड़ोसी, सहकर्मी, के रूप में पहचानें और फिर ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानें जिसकी अपनी भी कोई रुचि हो, जैसे खेल में, नृत्य और सामुदायिक सक्रियतावाद में। वे यह बताना चाहते हैं कि दूसरे इस बात को मान्यता दें कि बेशक, उनके सीखने का तरीका दूसरों से अलग होता है लेकिन वे अपने परिवारों और समुदायों में अपने अनूठे तरीके से योगदान दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनकी इच्छाएं भी दूसरों जैसी ही होती हैं।

© आर.कपूर/आईएलओ

गरीबी और बहिष्करण - एक वैश्विक कहानी

इंक्लूजन इंटरनेशनल के अनुसार, दुनिया भर में बौद्धिक विकलांगों की संख्या 13 करोड़ के करीब है। अफ्रीका में 80 करोड़ की आबादी में एक से डेढ़ करोड़ लोग बौद्धिक स्तर पर विकलांग हैं। लांछन और भेदभाव के चलते इनमें से अधिकतर गरीबी और बहिष्करण का शिकार हो जाते हैं।

दशकों से विकसित देशों तक में बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों को समाज के सभी क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाने और उन्हें अवसर देने के लिए ठोस कार्य नहीं किए गए। इस दिशा में अवरोध अधिक आए चूंकि लोग अब भी बदलाव को लेकर बहुत हठधर्मिता दिखाते हैं। विश्व स्तर पर किसी भी दूसरे समूह के मुकाबले-जिसमें दूसरे प्रकार के विकलांग लोगों के समूह भी आते हैं- बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों ने अधिक भेदभाव झेला है। उन्हें उच्च बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ा है, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और दूसरी सामान्य सेवाओं से बाहर रखा जाता रहा है और वे अपने-अपने समुदायों की संपत्ति से भी बेदखल किए जाते रहे हैं।

अक्सर परिवार ही ऐसे लोगों को सहारा देता है, चाहे वे वयस्क हों, बच्चे या किशोर। उत्पादक वयस्कों द्वारा बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों की देखभाल का अर्थ यह है कि माता-पिता

में से कोई एक वैतनिक कार्य नहीं कर सकता या फिर उसे कम देर तक काम करना होगा या तरक्की का मौका छोड़ना होगा। इससे गरीबी और बहिष्करण का चक्र चलता रहता है।

जैसा कि मालावी, मोजांबीक और जांबिया की आईएलओ प्रतिनिधि और निदेशक बारबरा मुर्रे कहती हैं, 'अफ्रीका के बहुत से देशों में बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के क्षमता निर्माण और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सहायता कार्यक्रमों की संख्या बहुत कम है। हमें अक्सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि किस तरह इस प्रकार के लोगों को अपनी संपत्ति पर अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है या किस प्रकार उन्हें स्कूल में भर्ती होने या नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

बारबरा आईएलओ की सीनियर डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। वह कहती हैं, 'कार्यस्थल तक पहुंच बनाना बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। हमें बहुत आगे तक जाना है। नियोक्ताओं और दूसरे लोगों के मन में इन लोगों को लेकर डर और भ्रांतियां होती हैं। इसी से समाज के हर स्तर पर उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती। इस सोच को बदलने में अभी बहुत साल लगेंगे।'

आगे की दिशा

धीरे-धीरे स्थितियां बदल रही हैं। इस आशावाद का कारण है। वर्ष 2008 में बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता (यूएन सीआरपीडी) लागू किया गया जिस पर अनेक अफ्रीकी देशों ने संपुष्टि दी या वे इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आईएलओ के व्यावसायिक पुनर्वास और रोजगार (विकलांग) समझौते (1983, संख्या 159) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रयासों के साथ मिलकर यह समझौता बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों और उनके परिवारों के जीवन में अर्थपूर्ण सुधार लाएगा।

सीआरपीडी पहले के रिवाजों से आश्चर्यजनक बदलाव का संकेत देता है जिसके तहत सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दूसरे लोगों की तरह बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के लिए भी प्रशिक्षण व रोजगार अवसर मुहैय्या कराएं। सीआरपीडी दूसरे विकलांगों के साथ-साथ बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के लिए प्रावधान करता है। फिर भी उन्हें वे लाभ नहीं मिल पाते जो सीआरपीडी के प्रावधानों के तहत दिए जाते हैं। लुसाका के तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य इसी स्थिति को बदलने से जुड़ा था। सम्मेलन में सरकारों, सामाजिक भागीदारों, नागरिक समाज की संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक मंच पर लाकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, विशेष रूप से बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों को प्रशिक्षित करने और उन्हें काम के लिए तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर।

इस दौरान एक घोषणापत्र भी स्वीकृत किया गया। यह घोषणापत्र है **लुसाका डिक्लरेशन ऑन पीपुल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज : अचीविंग फुल पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग एंड इंप्लॉयमेंट।** यह घोषणापत्र सम्मेलन के भागीदारों और समर्थकों के विचारों और सुझावों का संकलन है। घोषणापत्र में बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों के दृष्टिकोण और मूल्यों को दोहराया गया है और प्रमुख चुनौतियों को मान्यता देते हुए क्रियान्वयन संबंधी सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें सरकारों, नियोक्ताओं और उनके संगठनों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विकलांगों के माता-पिताओं के समूहों को ठोस कार्रवाई करने को कहती हैं। घोषणापत्र आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए ढांचा प्रदान करता है।

बारबरा मुर्रे कहती हैं, 'व्यक्तिगत अनुभवों के आदान प्रदान और एकीकृत रोजगार प्रबंधनों में बौद्धिक रूप से विकलांग लोगों को शामिल करके तथा गैर सरकारी संगठनों व नियोक्ता प्रतिनिधियों को भागीदार बनाकर, न केवल विकलांग महिला-पुरुषों को प्रेरित और लामबंद किया जा सकता है बल्कि दीर्घकालीन, संयुक्त समन्वय के अवसर भी प्रदान किए जा सकते हैं।'

दीर्घावधि में आईएलओ-आयरिश सहायता कार्यक्रम का दृष्टिकोण यह है कि सभी प्रकार के विकलांगों को मुक्त श्रम बाजार में उत्कृष्ट श्रम अवसर प्रदान करने में मदद दी जाए। मुर्रे कहती हैं, 'हम अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि अगर विकलांग लोगों को उनकी दक्षता, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो तो वे कार्यस्थलों में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। श्रम उन्हें और उनके परिवारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने का न केवल मौका देता है, बल्कि उन्हें प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास भी देता है।

>>

आईएलओ-आयरिश सहायता कार्यक्रम के विषय में

आईएलओ - आयरिश सहायता कार्यक्रम पूर्व और दक्षिणी अफ्रीका के चुनींदा देशों में विकलांग केंद्रित परियोजनाओं को समर्थन देता है। प्रमोटिंग द इंप्लॉयबिलिटी एंड इंप्लॉयमेंट ऑफ पीपुल विद डिसेबिलिटीज : एफेक्टिव लेजिस्लेशन (पीईपीडीईएल) नामक परियोजना विकलांगों से संबंधित प्रशिक्षण, रोजगार कानूनों और नीतियों की जांच करती है और उनके कारगर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करती है। प्रमोटिंग डीसेंट वर्क फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज : अ डिसेबिलिटी इनक्लूजन सर्विस (इनक्लूट) नामक परियोजना मुख्यधारा के कार्यक्रमों और सेवाओं, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, रोजगार और लघुवित्त आदि में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को सहयोग देती है।

>>

सफल कहानियां

यहां प्रस्तुत कहानियां इस बात का उदाहरण पेश करती हैं कि विकलांगता किसी व्यक्ति को अपने समुदाय में पूर्ण भागीदारी करने से रोक नहीं सकती। आज अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ये लोग न केवल अपने पैरों पर खड़े हैं बल्कि बौद्धिक रूप से विकलांग दूसरे लोगों के लिए नजीर भी हैं।

मैं एक एथलीट हूं

जैक्विलिन मिनचिन, 33 वर्ष
ब्रिटेन (वेल्स)

© ए.मिनचिन/आईएलओ

जैक्विलिन एक स्कूल में पार्ट टाइम सहायक क्लर्क हैं। इसके अलावा वह हर हफ्ते किसी एक दिन सुबह अपना समय प्रीस्कूल में जाने वाले बच्चों के साथ बिताती हैं। वह स्विमिंग में दक्ष एथलीट भी हैं। पिछली बार उन्होंने ब्रिटिश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए माजोरका, स्पेन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स यूरोपियन स्विमिंग चैंपियनशिप्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता था।

मैं एक वकील हूं

क्विंसी मविया, 34 वर्ष
जांबिया

© आर.कपूर/आईएलओ

क्विंसी मविया इंक्लूजन इंटरनेशनल के परिषद सदस्य हैं। परिषद मे वह इंक्लूजन अफ्रीका और इंडियन ओशन नामक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अफ्रीका नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट डिसेबिलिटी (एएनडीडी) और जांबिया एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज (जेडएसीएएलडी) के सदस्य भी हैं।

जेडएसीएएलडी, एएनडीडी, नार्वेइन एसोसिएशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इंक्लूजन इंटरनेशनल और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की मदद से क्विंसी ने न्यूयार्क में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के तदर्थ समिति सत्र में भाग लिया। वह इस प्रक्रिया में वकील की हैसियत से जुड़े रहे, विशेष रूप से अफ्रीका के लिए।

मैं एक ऑफिस वर्कर हूं

रजब बकार सिंबा, 39 वर्ष
संयुक्त तंजानिया गणराज्य

© ए.हाजी/आईएलओ

रजब जांजिबार एसोसिएशन फॉर द पीपुल विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज (जेडएपीडीडी) के साथ अस्थायी रूप से काम करते हैं। वह तरह-तरह के काम करते हैं जैसे गार्डनिंग, साफ-सफाई का काम और कभी-कभी फोटोकॉपी करना भी। रजब वर्ष 2004 से इस संगठन के सदस्य हैं। इसके सदस्य बनने के बाद रजब ने अपने मानवाधिकारों और अपनी दक्षता के बारे में जाना। अब वह इन बातों को दूसरे विकलांग लोगों तक पहुंचाते हैं।

रजब स्थायी नौकरी करना चाहते हैं जिससे वे अपने परिवार में नियमित योगदान दे सकें। इस समय वह अपने भाइयों और बहनों के साथ रहते हैं, हालांकि चाहते हैं कि एक दिन उनकी शादी हो और उनका अपना भी परिवार हो।

कम प्रीमियम, अधिक लाभ

गरीब महिलाओं को क्यों चाहिए लघु बीमा

© ए.फियोरेंते/आईएलओ

विकासशील देशों में लघु बीमा योजनाएं गरीब परिवारों को अत्यंत सुरक्षा प्रदान करती हैं। वहां ये उत्पादक परिसंपत्तियों की रक्षा करती हैं। गरीब महिलाओं के लिए तो ये बहुत निर्णायक होती हैं।

मोनिका किरुंगुरु के पति एक बहिर्मुखी व्यक्ति थे और अपने समुदाय के मुख्य सदस्य भी। माउंट केन्या के निकट एक फार्म में पति-पत्नी, दोनों अपने बड़े से परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार के सदस्यों में सात बच्चे और पांच पोते-पोतियों आते हैं। अगस्त 2009 में मोनिका के पति बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई।

जीवनसाथी की मृत्यु किसी व्यक्ति के लिए भावनात्मक आघात की तरह होती है जिससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। तिस पर, आर्थिक आघात भी लगे तो स्थिति को संभालना कई बार असंभव हो जाता है। केन्या जैसे देश में मोनिका जैसी स्थिति का शिकार होने वाली किसी महिला के पास अस्पताल और दाहसंस्कार का खर्च उठाने के लिए दो ही विकल्प बचते हैं : वह या तो उच्च ब्याज पर कर्ज ले या फिर दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य से कर्ज ले। पर इस मामले में मोनिका की

>>

>> किस्मत अच्छी थी। जब उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मोनिका को पता चला कि उसके पति ने दो महीने पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा कराया है। इस पॉलिसी ने उन्हें अस्पताल का खर्च उठाने में मदद दी जो कि 330 अमेरिकी डॉलर के करीब था। इसके अलावा जब मोनिका के पति अस्पताल में भर्ती थे, तो परिवार को 25 डॉलर प्रति सप्ताह का स्टाइपेंड मिलता रहा जिसे मोनिका ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस चुकाने के लिए खर्च किया। 400 डॉलर दाह संस्कार के लिए दिए गए। दाह संस्कार में एक हजार लोग आए थे। अब मोनिका खुद खेती करना सीख रही है और शुक्र है कि उस पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है।

मोनिका की कहानी संकट से ग्रस्त गरीब महिलाओं की कहानियों से अलग है। लघु बीमा योजनाएं निम्न आय वर्ग वाले लोगों की जोखिम से मुकाबला करने और अपनी संवेदनशीलता को कम करने में मदद करती हैं। फिर भी यह अनुमान है कि विश्व के 100 सबसे गरीब देशों में निम्न आय वर्ग वाले 3 प्रतिशत लोग ही लघु बीमा योजनाओं का लाभ लेते हैं और 2 अरब लोग किसी भी सुरक्षा तंत्र से बाहर रह जाते हैं। इनमें से आधे से अधिक संख्या महिलाओं की है।

जोखिम से निपटने के अपने-अपने तरीके

दुनिया के सबसे गरीब लोगों में महिलाओं का प्रतिशत 70 के करीब है। वे पुरुषों के मुकाबले कम कमाती हैं, संपत्ति पर उनका अधिकार कम होता है और वे शारीरिक रूप से अधिक संवेदनशील होकर हिंसा का अधिक शिकार होती हैं। वे अधिकतर केयरगिवर (देखभाल करने वाली), होममेकर (गृहिणी) होती हैं लेकिन परिवार में संसाधनों का प्रबंधन करने वाली और आय अर्जित करने वाली भी होती हैं। संवेदनशील और परिवार के कल्याण के लिए उत्तरदायी, इन विरोधाभासी भूमिकाओं की वजह से महिलाओं को जोखिम से निपटने के लिए अनूठी ताकत की जरूरत होती है।

जोखिम के प्रबंधन की परंपरागत रणनीतियों, जिनका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, में लंबे समय तक किए जाने वाले बलिदान शामिल होते हैं जो कई बार गरीबी के चक्र की शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए व्यवसाय के लाभ को दीर्घावधि के निवेश में इस्तेमाल करने की बजाय आपात स्थिति में इस्तेमाल करने से महिला उद्यमियों की वृद्धि बाधित होती है। इसी प्रकार उत्पादक परिसंपत्तियों, जैसे पशु धन या उपकरणों को बेचने से इन परिसंपत्तियों से भविष्य में आय होने की संभावना खत्म हो जाती है। जोखिम से लड़ने की एक रणनीति यह अपनाई जाती है कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इससे बच्चों की सामाजिक और बौद्धिक तरक्की रुक जाती है और लंबी अवधि में उनकी कमाने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

दीर्घकालीन और संवेदनशील : महिलाओं के लिए योजनाओं की डिजाइनिंग

लघु बीमा योजनाएं गरीब महिलाओं के लिए जोखिम से निपटने और अपनी परिसंपत्तियों को उत्पादक तरीके से इस्तेमाल करने का विकल्प प्रदान करती हैं। संसाधनों का प्रबंधन करने वाली और परिवार की देखभाल करने वाली भूमिकाओं में होने की वजह से महिलाएं बीमा कंपनियों का स्वाभाविक लक्ष्य हैं। पर कंपनियों के सामने यह चुनौती है कि वे ऐसी योजनाओं को तैयार करें जो गरीब महिलाओं की जरूरतों को पूरा करें, उनकी लागत कम से कम रखें और प्रीमियम को वहन योग्य बनाएं। और ये तीनों शर्तें एक ही समय पर एक साथ पूरी हों।

© पी. डेलोच/आईएलओ

© सेवा/भारत

सेवा बैंक अपने ग्राहकों, जो कि स्वरोजगार प्राप्त गरीब महिलाएं हैं, के सामने तीन लघु बीमा योजनाओं का विकल्प देती हैं जिनके दायरे में मृत्यु, स्वास्थ्य और संपत्ति आते हैं।

गरीब महिलाओं की जरूरतें ऐसी होती हैं कि बीमा उत्पादों को लाभप्रद बनाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से स्वास्थ्य लघु बीमा कार्यक्रमों में गर्भावस्था को शामिल नहीं किया जाता, चूंकि उसकी लागत बहुत अधिक होती है। फिर भी कुछ योजनाओं ने लागत कम करने और पहुंच में सुधार के लिए नए मॉडलों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। पश्चिमी अफ्रीका में एक फ्रेंच गैर सरकारी संगठन *सेंटर इंटरनेशनल द डेवलपमेंट एट द रेचेरचे (सीआईडीआर)* ने एक ऐसा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रस्तुत किया है जिसमें मातृत्व को शामिल किया गया है। इस उत्पाद को ग्रामीण स्तर पर बेचा जाता है। सभी लोग गांव की सभी गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल करने के लिए एक वार्षिक शुल्क चुकाते हैं। चूंकि इसमें भागीदारिता अनिवार्य है इसलिए प्रतिकूल चयन और प्रशासनिक लागत न्यूनतम है और प्रीमियम वहन करने योग्य है : 0.40 डॉलर प्रति वर्ष। इसके एक साल बाद गिनी में एक हजार महिलाओं ने मातृत्व बीमा का लाभ उठाया।

भारत में महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक संवेदनशील और दीर्घकालीन तरीका अपनाया गया। यहां सेवा नामक संस्था द्वारा चलाए जाने वाले एक बैंक ने अपने ग्राहकों, जो कि स्वरोजगार प्राप्त गरीब महिलाएं हैं, को तीन लघु बीमा योजनाएं प्रदान कीं जो मृत्यु, स्वास्थ्य और संपत्ति को लक्षित हैं। गर्भावस्था की ही तरह, पूरे परिवार की सुरक्षा भी लघु बीमा का एक पहलू है जो महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इसे वहन करना बहुत मुश्किल है। विभिन्न प्राइज प्वाइंट्स पर उपलब्ध होने की वजह से उस तक पहुंच बनाना आसान है। सेवा की ये योजनाएं निम्न शुल्क द्वारा पति और बच्चों की सुरक्षा का विकल्प देती है। परिवार के सभी बच्चों को एक प्रीमियम के साथ इस योजना में शामिल किया जा सकता है, जिससे परिवार को यह चुनना नहीं पड़ता कि किस बच्चे का बीमा कराया जाए। दूसरी खास बात यह है कि बीमा को सेवा के बचत खाते से जोड़ दिया जाता है। ग्राहक अपने ब्याज को प्रीमियम चुकाने, पहुंच बढ़ाने और प्रशासनिक लागत कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 1992 में सात हजार ग्राहकों के साथ शुरुआत करके, आज विमो सेवा दो लाख महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को लाभान्वित कर रही है।

महिलाओं के लिए लघु बीमा का भविष्य

लघु बीमा विकास की नई सीमाओं का प्रतिनिधित्व करता है और एक लिंग संवेदी लघु बीमा उद्योग के सृजन के लिए अभी और काम किए जाने की जरूरत है। यह समझना निर्णायक है कि महिलाएं लघु बीमा और जोखिम प्रबंधन की मौजूदा रणनीतियों के साथ कैसे तालमेल बैठाती हैं, जोखिम के प्रति उनका रवैया पुरुषों से किस प्रकार भिन्न होता है और किस प्रकार लघु बीमा उनके व्यवसाय में निवेश की दर, बचत की प्रवृत्ति और घरेलू उपभोग को प्रभावित करता है। दाता, शोधकर्ता और व्यवसायी, प्रत्येक की लघु बीमा के विकास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मोनिका की बात करते हैं। वह बताती हैं, पति की मृत्यु के बाद उनके दोस्त और परिवार के सदस्य बीमा के बारे में उनसे पूछते हैं और यह भी पूछते हैं कि किस तरह उन्हें कर्ज या अपने समुदाय से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मोनिका उन्हें बीमा से जुड़ी अच्छी बातें बताती हैं। वह सभी से कहती हैं कि वे भी अपना बीमा करवाएं। और वह यह भी कहती हैं कि एक बार पॉलिसी निरस्त हो जाएगी तो वह उसे रीन्यू करवा लेंगी।

वैश्विक रोजगार घाटे को कम करने का आग्रह

टोरंटो, कनाडा में पिछले जून माह (26-27 जून) में जी 20 देशों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विश्व नेताओं ने आर्थिक मंदी से बहाली की नीतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर आईएलओ के महानिदेशक हुआन सोमाविया ने नेताओं के उस बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने बहाली की सुरक्षा और उसे मजबूती देने को उच्च प्राथमिकता दी थी और कहा था कि उनका अगला कदम यह होगा कि वे गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के साथ वृद्धि की ओर पूर्ण वापसी करेंगे।

श्री सोमाविया ने आगे कहा, 'ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखने और वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय दृढ़ीकरण प्रक्रिया, जो कि राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए तैयार की जाएगी, के बीच नाजुक नीतिगत संतुलन बनाने पर सहमति जताई है। टोरंटो शिखर वार्ता का अंतिम राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित तरीके से इस समझौते को कार्यान्वित भी किया जाता है।'

श्री सोमाविया के अनुसार, 'विश्वास जगाने का केवल यह अर्थ नहीं कि वित्तीय बाजार शांत हो जाएं। इसके यह मायने भी हैं कि नागरिकों को इस बात का भरोसा हो कि उनके नेता न्यायपरक तरीके से नीतियों को लागू कर रहे हैं। श्रमशील परिवारों के लिए दीर्घकालीन बहाली का अर्थ रोजगार बहाली से है।'

महानिदेशक ने कहा, 'व्यवसाय और श्रम जगत के बीच सामाजिक संवाद, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के नायक हैं, से ही दीर्घकालीन बहाली को राह मिलेगी। उनके बीच संवाद बढ़ने से वित्तीय मुद्दों को लक्षित किया जा सकेगा जो कि इस गंभीर दौर में सही संतुलन बैठाने का महत्वपूर्ण जरिया है। इस दौर में डबल डिप रिसेशन का जोखिम अब भी गहरा रहा है।'

उन्होंने जी 20 नेताओं के उस बयान को भी रेखांकित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हम वैश्विक रोजगार संकट के रोजगार प्रभावों पर अपने श्रम और रोजगार मंत्रियों, जिन्होंने अप्रैल 2010 में बैठक की थी, की सिफारिशों का स्वागत करते हैं। हम उस प्रतिबद्धता को दोहराते हैं जो हमने रोजगार वृद्धि करने और सबसे संवेदनशील नागरिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिए की थी। एक कारगर रोजगार नीति बहाली के केंद्र में गुणवत्तापूर्ण नौकरियों को रखा जाना चाहिए। हमें प्रशिक्षण रणनीति पर आईएलओ के कार्य को सराहना करनी चाहिए जो संगठन ओईसीडी के सहयोग से कर रहा है। इससे श्रमशक्ति को आज और आने वाले कल की नौकरियों के लिए जरूरी दक्षता हासिल होगी।'

आईएलओ महानिदेशक ने कहा, 'इन उपायों और वैश्विक रोजगार संधि को लागू करने के लिए आईएलओ जी 20 के कुछ सदस्य देशों के साथ पहले से कार्य कर रहा है जिनका अनुमोदन पिछले वर्ष सितंबर में पिट्सबर्ग सम्मेलन में किया गया था और हम अपने नियोक्ता व श्रमिक संघटकों के साथ भी इस प्रकार के समन्वय को जारी रखना चाहते हैं।' इस संदर्भ में महानिदेशक ने 'गरीबों तक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने और विकासशील देशों में छोटे व मंझोले दर्ज के उद्यमों को उपलब्ध वित्त को बढ़ाने... जिसमें सर्वाधिक आशावादी मॉडलों की तलाश के लिए लक्षित एसएमई फाइनांस चैलेंज की शुरुआत करना शामिल है... की प्रतिबद्धता के महत्व पर बल दिया।'

श्री सोमाविया ने जी 20 के उन फैसलों का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, विशेष रूप से क्षेत्रीय विकास बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करेंगे और खाद्य सुरक्षा पर नई पहल करेंगे।

टोरंटो बैठक का मुख्य जोर सितंबर 2009 में पिट्सबर्ग सम्मेलन के दौरान शुरू की गई मजबूत, दीर्घकालीन और संतुलित वृद्धि के लिए संरचना तैयार करना था जिसके तहत नीतिगत कार्रवाई और संरचनाओं को मजबूती देने के लिए म्युचुअल एसेसमेंट प्रोसेस को भी गठित किया गया था। श्री सोमाविया ने कहा, 'म्यूचुअल एसेसमेंट प्रोसेस में सहभागी संगठन के तौर पर आईएलओ आने वाले महीनों में विभिन्न देशों के साथ काम करेगा जिससे जी 20 देशों के रोजगार, विकास और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।'

इस बात पर बल देते हुए कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में भी बहाली का एकमात्र रास्ता व्यवसाय में निवेश और घरेलू खपत को बढ़ाना है, श्री सोमाविया ने कहा कि 'अगर निजी क्षेत्र बहाली को बरकरार रखने में मुख्य भूमिका नहीं निभाता तो अगले जी 20 सम्मेलन में टोरंटो समझौते पर पुनर्विचार करना होगा।'

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलनः
रोजगार बहाली के लिए मजबूत कार्रवाई का आह्वान

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के वार्षिक सम्मेलन का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि बहाली नीतियों के केंद्र में रोजगार और सामाजिक संरक्षण को लाया जाए। टोरंटो में जी 20 नेताओं की बैठक के बाद वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधियों- आईएलओ के 183 सदस्य देशों के सरकारी, नियोक्ता व श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस बात पर गहन चिंता जताई कि वैश्विक आर्थिक बहाली की स्थिति नाजुक है और यह सभी देशों में एक समान नहीं है। साथ ही अनेक श्रम बाजार अब भी आर्थिक बहाली से मेल खाने वाली रोजगार बहाली नहीं कर पाए हैं।

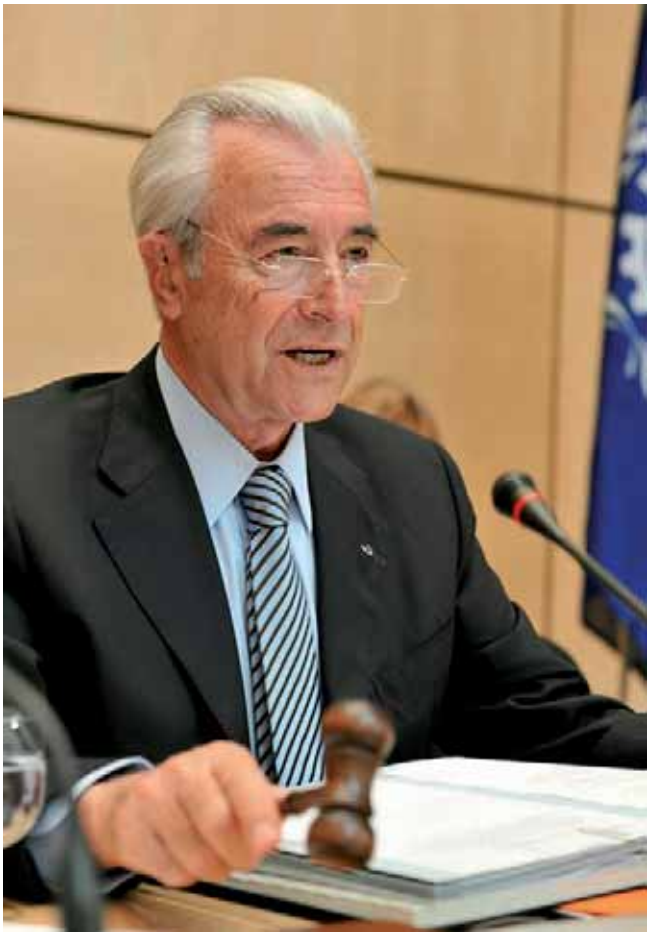

© आईएलओ फोटो

श्री गिलेस द रोबिअन

साल 2010 के सत्र में प्रतिनिधियों ने आईएलओ की वैश्विक रोजगार संधि को लागू करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया। इस संधि को पिछले साल अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान स्वीकृत किया गया था और पिछली सितंबर में पिट्सबर्ग में जी 20 सम्मेलन के दौरान इसे अत्यधिक समर्थन मिला था।

वक्ताओं ने महानिदेशक श्री सोमाविया की रोजगार समृद्ध आर्थिक बहाली के लिए संतुलित नीतिगत रणनीति अपनाने के आह्वान का समर्थन किया और उनकी चेतावनी पर भी सहमति जताई कि कमजोर आर्थिक बहाली और बेरोजगारी के उच्च स्तरों के दौर में घाटा कम करने के हालिया उपायों, मुख्य रूप से सामाजिक परिव्यय, से प्रत्यक्ष रूप से नौकरियां और वेतन प्रभावित होंगे।

सम्मेलन ने आईएलओ का फिर से आह्वान किया कि संगठन वैश्वीकरण के सामाजिक आयामों को मजबूत करने के लिए आर्थिक व सामाजिक नीतियों कें केंद्र में पूर्ण और उत्पादक रोजगार व उत्कृष्ट श्रम को रखे। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री गिलेस द रोबिअन (फ्रांस) के अनुसार, 'आईएलओ को तत्काल वैश्वीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों से निपटना चाहिए।'

सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने भी आईएलओ से अनुरोध किया कि वह बहुस्तरीय संस्थानों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ अपना सहयोग बढ़ाए जिससे वित्तीय, आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, रोजगार संबंधी और पर्यावरणीय नीतियों के साथ उसकी नीतिगत सुसंगति भी बढ़े।

सम्मेलन में रोजगार पर निरंतर पड़ने वाले संकट पर चिंता जताई गई। महानिदेशक की रिपोर्ट रिकवरी एंड ग्रोथ विद डीसेंट वर्क में बताया गया है कि विश्व में बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख से अधिक है और यह अब तक का सबसे उच्च आंकड़ा है। इस अवसर पर श्री सोमाविया ने कहा कि आईएलओ के अनुमानों के अनुसार, आर्थिक बहाली के बावजूद इस वर्ष बेरोजगारी की वैश्विक दर में कमी के कोई संकेत नहीं हैं।

सरकारों, नियोक्ता व श्रमिक वक्ताओं ने कहा कि रोजगार बहाली में निरंतर कमी से बेरोजगारों पर अत्यंत दबाव पड़ रहा है और इससे रोजगार सृजन के लिए उद्यमों को सही परिवेश प्रदान करने के प्रयासों में भी रुकावट आ रही है।

कुछ वक्ताओं ने यह चेताया कि प्रोत्साहन पैकेजों को असमय वापस लेने से स्थितियां और खराब हो सकती हैं।

सम्मेलन का संदेश बहुत स्पष्ट था- रोजगार को बहाली के केंद्र में लाया जाए। श्री सोमाविया ने कहा, 'टोरंटो में जी 20 देशों की बैठक के संदर्भ में, इसका अर्थ यह है कि पिट्सबर्ग में राष्ट्रपति ओबामा की अध्यक्षता में नेताओं की इस प्रतिबद्धता को पूरा किया जाए कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार को बहाली के केंद्र में लाया जाए।

स्विस राष्ट्रपति ने सम्मेलन का उद्घाटन किया

© आईएलओ फोटो

'जब तक बेरोजगारी और अल्प रोजगार कायम रहेंगे, संकट का दौर समाप्त नहीं होगा।' यह कहना है स्विस परिसंघ की राष्ट्रपति सुश्री डोरिस ल्यूथार्ड का। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 99वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सुश्री ल्यूथार्ड ने यह बयान दिया।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में एकत्र हुए 4000 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सुश्री ल्यूथार्ड ने इस बात पर बल दिया कि न केवल सरकारों के बीच समन्वय और एकरूपता महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक भागीदारों के बीच सहयोग भी अवश्यंभावी है। विकास की दिशा में आने वाली चुनौतियों से निपटने और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सहयोग अपेक्षित है।

सुश्री ल्यूथार्ड ने कहा, 'चूंकि ऐसा लग रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट से बाहर निकल आई है, हमें उत्साहवर्धक संकेतकों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। न ही हमें व्यवसाय की ओर लौटने के मोह में पड़ना चाहिए। बेरोजगारी विभिन्न सरकारों के लिए अब भी चिंता का विषय बनी हुई है और हमें श्रम बाजार पर संकट के घातक असर को दूर करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे।'

सम्मेलन की कार्यसूची

प्रतिनिधियों ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जैसे रोजगार नीतियां, एचआईवी/एड्स पर नई सिफारिश, घरेलू श्रम और आईएलओ के श्रम मानकों को असरकारक बनाना।

17 जून को सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एचआईवी और एड्स पर नए अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक को अत्यंत उत्साह से मंजूर किया। यह सिफारिश श्रम की दुनिया और एचआईवी पर खास तौर से केंद्रित पहला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपाय है। इस सिफारिश में राष्ट्रीय और कार्यस्थलीय स्तर पर रोकथाम कार्यक्रमों और गैर भेदभावकारी उपायों के प्रावधान हैं और यह एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल और सहयोग तक श्रम की दुनिया की सार्वभौमिक पहुंच बनाने में योगदान देने को लक्षित है।

© आईएलओ फोटो

© आईएलओ फोटो

© आईएलओ फोटो

सम्मेलन ने उस सिफारिश को प्रोत्साहित व कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जिसके तहत आईएलओ संचालन निकाय को नए मानक को प्रभावी बनाने के लिए अधिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को इस अनुरोध के साथ मंजूर किया गया है कि आईएलओ के सदस्य देशों से प्राप्त नियमित जानकारियों के साथ इसके व्यापक कार्यान्वयन के लिए वैश्विक कार्रवाई योजना प्रारंभ की जाए।

सम्मेलन ने घरेलू श्रमिकों पर नए अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक पर पहली चर्चा भी की। ऐसे उपायों को स्वीकृत करने से ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे घरेलू श्रमिकों के समूह, जिसमें अधिकतर महिलाएं और लड़कियां आती हैं, को उत्कृष्ट रोजगार प्राप्त करने का अभूतपूर्व अवसर मिल सकेगा।

इस प्रस्तावित उपायों से विश्व स्तर पर घरेलू श्रमिकों को, उनके काम और उसकी विषमताओं के अनुरूप, न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त हो सकती है।

घरेलू श्रमिकों पर प्रस्तावित नए मानक पर दूसरी चर्चा जून 2011 में होगी।

रोजगार पर आवर्ती चर्चा पर केंद्रित समिति ने कहा कि रोजगार केंद्रित वृहद आर्थिक संरचना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईएलओ और उसके सामाजिक भागीदारों को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। समिति ने आईएलओ से अनुरोध किया कि संगठन अपनी तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार करे जिससे रोजगार परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वृहद आर्थिक नीतियों की जांच की जा सके।

सत्र के समापन पर प्रतिनिधियों ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति पर हालिया आईएलओ रिपोर्ट पर चर्चा की जिसमें अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत नजर आते हैं, हालांकि गाजा की स्थिति अब भी अनिश्चित ही है।

प्रतिनिधियों ने 11 जून को बाल श्रमिकों पर आईएलओ की वैश्विक रिपोर्ट पर भी चर्चा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल श्रम के निकृष्ट रूपों का उन्मूलन करने के लिए विश्व स्तर पर किए जाने वाले प्रयास बहुत धीमे हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर इस काम में तेजी नहीं दिखाई गई तो 2016 के लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं होगा। (अधिक जानकारी के लिए इस अंक की कवर स्टोरी देखें)।

अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक

समझौतों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की सम्मेलन समिति ने 25 व्यक्तिगत मामलों की पड़ताल की। समझौतों और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर आईएलओ की विशेषज्ञ समिति ने सम्मेलन को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इन मामलों को लक्षित किया था। अधिक जानकारी के लिए देखें *http://www.ilo.org/global/ What_we_do/International/ LabourStandards/What_sNew? lang--en/docName--WCMS_ 141995/index.htm½*

समिति ने बलात श्रम समझौता, 1930 (संख्या 29) को लेकर म्यांमार के आवेदन पर एक बार फिर से विशेष बैठक की और आईएलओ संविधान के संलेख 33 के संदर्भ में

वास्तविक अर्थव्यवस्था के नेताओं ने आर्थिक और रोजग

बेरोजगारी पर बढ़ती चिंता के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने दो उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ऋण संकट के प्रभाव और घाटा कम करने, मितव्ययता उपायों को लागू करने की हालिया पहल तथा वित्तीय दृढ़ीकरण के लिए उठाए गए अन्य कदमों पर चर्चा करना था।

इन बैठकों में रोजगार समृद्ध बहाली को मजबूती देने और रोजगार को वृहद आर्थिक लक्ष्य बनाकर अधिक दीर्घकालिक और संतुलित वृद्धि को पोषित करने के तरीकों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकास लक्ष्यों जैसे एमडीजी को हासिल करने के लिए उत्पादक रोजगार और सामाजिक संरक्षण किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर भी बातचीत की गई।

चर्चा के लिए तैयार किए गए वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा, 'आईएलओ ने हमें वैश्विक रोजगार संधि के माध्यम से रास्ता दिखाया है। प्राथमिकता सूची में रोजगार सृजन को पहुचाने में इस संधि का बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें और आगे बढने की जरूरत है। ऐसी आर्थिक बहाली का कोई अर्थ नहीं है जिसके बारे में लोग समाचार पत्रों में पढ़ें। काम करने वाले महिला-पुरुषों को अपने जीवन और जीविकापोर्जन के साधनों में यह बहाली नजर आनी चाहिए। वास्तविक आर्थिक बहाली को वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहिए।

© आईएलओ फोटो

अनुवर्तन संबंधी उपाय किए गए।

इस वर्ष सम्मेलन समिति ने जिस सामान्य सर्वेक्षण पर चर्चा की, वह रोजगार उपायों पर केंद्रित था, वह भी न्यायोचित वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ के 2008 के घोषणापत्र के संदर्भ में। सर्वेक्षण का उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न देशों के कानूनों, प्रस्तावों और नीतियों के विश्लेषण के माध्यम से संगठन के नियामक व आर्थिक तथा सामाजिक नीतिगत कार्य के बीच संगति बैठाना था।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रमुख कार्य हैं, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्वीकृत करना और उनके अनुपालन पर नजर रखना, संगठन के लिए बजट बनाना और संचालन निकाय के सदस्यों को निर्वाचित करना। वर्ष 1919 से सम्मेलन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक व श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करता रहा है। आईएलओ के 183 देशों में से प्रत्येक देश को सम्मेलन में चार प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार है : इनमें से दो सरकारी, दो नियोक्ता व दो श्रमिक प्रतिनिधि होने चाहिए। इन चारों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने और मतदान करने का अधिकार मिलता है।

ार संकट के संबंध में नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की

© आईएलओ फोटो

इसी दौरान अनेक वक्ताओं ने संकट के प्रतिक्रियास्वरूप संतुलित आर्थिक व सामाजिक नीतियों के उदाहरण प्रस्तुत किए। ब्राजील के विदेश मंत्री सेल्सो एमोरिम ने कहा कि उनके देश में वास्तविक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की रणनीति के साथ सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। इससे देश में आर्थिक संकट के असर को कम करने में मदद मिली। उन्होंने कहा, शांति, समन्वय और न्यायोचित व्यापार विकास के नए नाम हैं।

अमेरिकी श्रम सचिव हिल्डा सोलिस ने एक वीडियो संदेश में जी 20 देशों के श्रम व रोजगार मंत्रियों की बैठक के निष्कर्षों का खुलासा किया। यह बैठक पिछली अप्रैल में वाशिंगटन में हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में आईएलओ की वैश्विक रोजगार संधि और उत्कृष्ट श्रम कार्यसूची की भूमिका को रेखांकित किया गया और कहा गया कि ये दोनों सरकारों के लिए मूल्यवान संसाधन हैं जिनके आधार पर वे रोजगार व सामाजिक संरक्षण प्रणालियों को लक्षित करने के उपाय तैयार कर सकती हैं।

अन्य वक्ताओं ने भी सामाजिक संरक्षण को संकट से निपटने के लिए अनिवार्य बताया। सम्मेलन के अध्यक्ष गिलेस द रोबिअन (फ्रांस) ने कहा कि संकट ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक संरक्षण एक सामाजिक स्टैबलाइजर (स्थायित्व का उपाय) और अर्थव्यवस्था का स्टैबलाइजर है, कम से कम उन देशों में जहां ऐसी संरक्षण प्रणालियां मौजूद हैं।

बैठक में भाग लेने वाले पैनलिस्टों ने चेतावनी दी कि राजकीय ऋण संकट रोजगार सृजन की कीमत पर सार्वजनिक व्यय को कम करने के लिए तैयार की गई सरकारी नीतियों के साथ मिलकर सहस्राब्दि लक्ष्यों को हासिल करने के कार्य को रोक सकता है या उसे प्रतिकूल दिशा दे सकता है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों का उद्देश्य साल 2015 तक गरीबी को कम करना और विकास को प्रोत्साहित करना है।

रोमानिया के श्रम, परिवार और सामाजिक संरक्षण राज्य मंत्री वेलेंटिन मोकानू ने कहा कि सम्मेलन ने रोजगार के मुद्दे पर गहन चर्चा की है। उन्होंने कहा कि 'रोजगार केंद्रित वृहद आर्थिक संरचना के लक्ष्य को पूरा करने में आईएलओ और उसके सामाजिक भागीदारों की मुख्य भूमिका है। हमें कार्यालय से अनुरोध करना चाहिए कि वह अपनी तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमता में सुधार करे जिससे रोजगार परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वृहद आर्थिक नीतयों की जांच की जा सके।'

© आईएलओ फोटो

आईएलओ संचालन निकाय ने चुना नया अध्यक्ष

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ)संचालन निकाय ने ट्यूनीशिया के राजदूत और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ट्यूनीशिया के स्थायी प्रतिनिधि महामहिम श्री अब्देलवहेब जेमाल को वर्ष 2010-11 के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना है। संचालन निकाय के 308वें सत्र में अनेक मसलों पर विचार विमर्श किया गया जिसमें संस्था की स्वतंत्रता पर आईएलओ समिति की रिपोर्ट भी शामिल थी।

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

श्री अब्देलवहेब जेमाल

श्री अब्देलवहेब जेमाल, ब्राजील की राजदूत और जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ब्राजील की स्थायी प्रतिनिधि महामहिम श्रीमती मारिया नजारेथ फरानी अजेवेदो का स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए संचालन निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

जेनेवा में इस नियुक्ति से पहले दिसंबर 2008 में श्री अब्देलवहेब जेमाल ट्यूनीशियाई योजना मंत्रालय में क्षेत्रीय विकास के जनरल कमिश्नर, समाज कल्याण मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, महदिया और नेवेउल प्रांतों के गर्वनर, कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक रैली के स्थायी सचिव (उपमंत्री के ओहदे सहित)और मारितानिया में ट्यूनीशिया के राजदूत रह चुके हैं।

श्री डैनियल फ्यून्स डी रोजा जो कि अर्जेंटीना के औद्योगिक संघ के सामाजिक नीति विभाग के अध्यक्ष हैं और वर्ष 1995 से 1998 तक अमेरिकी राज्यों के संगठन के नियोक्ता समूह के अध्यक्ष रह चुके हैं, को पुनः नियोक्ता उपाध्यक्ष चुन लिया गया। सर लेरॉय ट्रॉटमैन जो कि बारबाडोस श्रमिक संघ के महासचिव और संचालन निकाय में श्रमिकों के समूह के प्रवक्ता हैं, को पुनः श्रमिक उपाध्यक्ष चुन लिया गया।

ये तीनों वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान संचालन निकाय के पदाधिकारियों के तौर पर कार्य करेंगे। संचालन निकाय आईएलओ की कार्यकारी परिषद होता है जिसकी एक वर्ष में तीन बार बैठक होती है। यह नीति संबंधी फैसले लेता है और आईएलओ कार्यक्रम तथा बजट का निर्धारण करता है।

संचालन निकाय ने जून 2011 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 100 वें सत्र का एजेंडा भी तय किया। इसने तय किया कि एजेंडा में श्रम प्रशासन और बाल निरीक्षण प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर एक आम चर्चा को भी शामिल किया जाए। वर्ष 2011 के सत्र में घरेलू श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट श्रम पर भी एक चर्चा होगी जिसमें मानकों के निर्धारण का दृष्टिकोण होगा और सामाजिक संरक्षण के रणनीतिक उद्देश्य, आईएलओ सिफारिशों और समझौतों के अनुपालन, संचालन निकाय के अध्यक्ष और महानिदेशक की रिपोर्टों और वर्ष 2012-13 के लिए आईएलओ कार्यक्रमों तथा बजट प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

संस्था की स्वतंत्रता

संचालन निकाय ने संस्था की स्वतंत्रता पर आईएलओ समिति की 357वीं रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की। इस वर्तमान बैठक में समिति ने 39 मामलों का परीक्षण किया। कुल मिलाकर वर्तमान में समिति के समक्ष 128 मामले विचाराधीन हैं।

■ समिति ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, ईरान इस्लामी गणराज्य और पेरू के मामलों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया।

■ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मामले में जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार मंत्रालय में कार्यरत कांगोलियाई श्रम परिसंघ (सीसीटी)के सदस्यों और नेताओं को खुफिया सेवाओं के लोगों द्वारा जबरिया हिरासत में रखने से संबंधित था, समिति ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इन नेताओं की गिरफ्तारी की प्रकृति और उन अपराधों की व्याख्या करने के लिए तुरंत एक स्वतंत्र जांच शुरू करें जिनके लिए कि उन्हें आरोपित किया गया है। इस प्रकार की जांच को यह भी बताना होगा कि क्या श्रमिक संघ सदस्यों को सवाल उठाए जाने से एक माह पूर्व ही हिरासत में ले लिया गया था और यह कि क्या उनके साथ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया। समिति ने अनुरोध किया कि यदि जांच से यह साबित हो कि ये लोग केवल अपनी वैध श्रमिक संघ गतिविधियां चलाने के कारण जेल में हैं तो इन्हें अविलंब रिहा किया जाए।

■ इथियोपिया के मामले में समिति ने इस बात पर खेद जताया कि नेशनल टीचर्स एसोसिएशन (एनटीए) को इस संदर्भ में समिति की पूर्व में की गई संस्तुति के बावजूद अभी तक सरकार ने पंजीकृत नहीं किया है। इसने सरकार से तुरंत एसोसिएशन

के पंजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि शिक्षक अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए संस्थाओं के गठन के अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। इससे भी अधिक समिति ने सरकार से संघ पदाधिकारियों के अधिकारों की पूर्ण गारंटी देने का अनुरोध किया जिनमें निजी स्कूल शिक्षक भी शामिल हों। समिति ने दान पर एक नई घोषणा को स्वीकृत करने का भी उल्लेख किया और सरकार से इसके अनुपालन के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा, खासकर संस्थाओं को पंजीकृत करने वाली इकाई के कथित हस्तक्षेप के संदर्भ में।

■ ईरान इस्लामी गणराज्य से संबंधित दो मामले दिखाते हैं कि संस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के उपयोग से संबंधित कठिनाइयां देश में नियोक्ताओं और श्रमिकों, दोनों पर असर डाल रही हैं। पहले मामले में जो कि तेहरान वाहेद की बस कंपनी (एसवीएटीएच) के श्रमिक संघ के बारंबार दमन और उसके अध्यक्ष मंसूर ओसानलू की हिरासत से संबंधित है, समिति ने श्रम मंत्री द्वारा उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और उन्हें क्षमादान दिए जाने वाले लोगों की सूची में शामिल करने के फैसले का स्वागत किया।

■ समिति ने अविलंब उनकी रिहाई की ठोस अपेक्षा की और अनेक अन्य श्रमिक संघ नेताओं को तुरंत रिहा करने और उन पर लगाए गए आरोपों को वापस लेने की मांग की। समिति ने श्रमिक संघों के बहुलवाद के सिद्धांतों को मान्यता देने और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के अधिकार से संबंधित कानूनों में सुधार के उपाय अपनाने का भी आह्वान किया।

■ ईरान का दूसरा मामला नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन के मामलों में सरकारी दखलंदाजी और इसके प्रशासनिक विघटन से संबंधित है। इस संबंध में हाल ही में आए एक अदालती फैसले के संदर्भ में समिति ने उम्मीद जताई कि सरकार अविलंब संबंधित नियोक्ताओं के संगठन (आईसीएई) को पंजीकृत करेगी, समिति ने सरकार से कहा कि वह नियोक्ताओं की संस्थाओं के संदर्भ में तटस्थता की नीति का पालन करे। समिति ने सरकारी दखल के कार्यों के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के संगठनों का गठन करने और उनका सदस्य बनने की स्वतंत्रता से संबंधित श्रम कानूनों में संशोधनों की जरूरत की मांग भी दोहराई। अंत में समिति ने सरकार से अपेक्षा की कि वह एक मिशन के दौरे को स्वीकार करे जो कि संस्था की स्वतंत्रता से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने आएगा जिसमें वर्तमान मामले और पहले उठाए गए मुद्दे भी शामिल होंगे।

■ पेरू के मामले में जो कि खनन क्षेत्र मे एक हड़ताल के बाद अनेक श्रमिक संघ नेताओं की बर्खास्तगी तथा दो श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं की हत्या से संबंधित था, समिति ने मजबूती से यह उम्मीद जताई कि इन हत्याकांडों की चल रही जांच ठोस परिणाम सामने लाएगी और इसके लिए जिम्मेदार लोग बेनकाब होंगे। समिति ने हड़ताल के लिए श्रमिक संघ के अधिकारियों की बर्खास्तगी के मामले की स्वतंत्र जांच का आह्वान भी किया और यह मांग की कि यदि बर्खास्तगी का एकमात्र कारण हड़ताल है तो इन लोगों को क्षमा कर दिया जाए।

■ एक सकारात्मक वक्तव्य में समिति ने जापान में सामाजिक संवाद को पुनः ऊर्जा प्रदान करने का स्वागत किया, खास तौर से जनसेवकों के मूल श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करने के कानूनी ढांचे के गठन और अग्निशमन कर्मियों के संगठित होने के अधिकार के मुद्दे के परीक्षण के लिए समिति की स्थापना के संदर्भ में। समिति ने सरकार से अनुरोध किया कि वह इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखें और इस संदर्भ में प्रगति के ब्यौरे से समिति को सूचित करते रहें।

© तिकिनो/जीएफडीएल

जापान में अग्निशमक

आसियान की बहाली की दिशा में चुनौतियां

आसियान देशों ने वैश्विक आर्थिक संकट से बाहर निकलने में सफलता हासिल कर ली है और अनेक देशों ने तो संकट से पहले के दौर की आर्थिक वृद्धि दर भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने भी अनेक चुनौतियां हैं जैसे असंतुलित वृद्धि, श्रमशक्ति की दक्षता में सुधार, रोजगार का पुनर्निर्माण और भारत और चीन के मुकाबले उत्पादकता दर हासिल करना। ऐसा कहना है, आईएलओ की नई रिपोर्ट का।

मई में वियतनाम की राजधानी हनोई में दूसरा आसियान मानव संसाधन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर *लेबर एंड सोशल ट्रेंड्स इन आसियान 2010 : सस्टेनिंग रिकवरी एंड डेवलपमेंट थ्रू डीसेंट वर्क* नामक एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि आर्थिक मंदी का असर बहुत बड़ा था, लेकिन इस क्षेत्र ने अपेक्षा से पहले बहाली के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। वर्ष 2009 में इस क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2010 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज और चीन की मांग का मुख्य योगदान है।

फिर भी संकट के दौरान, आसियान की श्रम उत्पादकता अलग-अलग थी। आसियान क्षेत्र में औसत वार्षिक श्रम उत्पादकता वर्ष 2007 से 2009 के दौरान 0.3 प्रतिशत थी, जबकि चीन और भारत में क्रमशः 8.7 और 4.0 प्रतिशत। रिपोर्ट का कहना है कि दक्षता में निवेश और रोजगार में सुधार इसके दो कारण हैं।

मजबूत बहाली के कारण, कुछ देशों में बेरोजगारी का स्तर संकट से पहले के स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अनौपचारिक

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

© वी.कुट्टी/आईएलओ

रोजगार (जहां उत्पादकता कम है, काम करने की स्थितियां खराब और सामाजिक संरक्षण न्यूनतम है) को रोल बैक करने में अभी समय लगेगा। वर्ष 2009 में आसियान के 61 प्रतिशत से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। इसी बीच अनेक श्रमशील निर्धनों (जो कि प्रति दिन दो अमेरिकी डॉलर से भी कम कमाते हैं) की संख्या पिछले दो सालों में बढ़ी है। ये 14 करोड़ से 15 करोड़ 80 लाख हो गए हैं (क्षेत्र में 51 प्रतिशत से 58 प्रतिशत)।

आईएलओ के सीनियर इकोनॉमिस्ट ग्योरगी जिरास्जकी कहते हैं, 'हाल की श्रम उत्पादकता प्रवृतियां बताती हैं कि आसियान क्षेत्र में गंभीर प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती आ खड़ी हुई है, विशेष रूप से अधिक विकसित सदस्य देशों में। उत्पादकता में वृद्धि दीर्घकालिक वृद्धि के लिए निर्णायक होती है जिसे उच्च वेतन, बेहतर नौकरियों और कार्य की स्थितियों में परिलक्षित होना चाहिए। उच्च वेतन के बिना घरेलू उपभोग में वृद्धि नहीं हो सकती और अर्थव्यवस्थाएं निर्यात पर निर्भर रहती हैं। दूसरी ओर, लाभ के बंटवारे से एक चक्र के बनने में मदद मिलती है। उत्पादकता बेहतर वेतन और स्थितियों, उच्च जीवन स्तर और अधिक प्रतिस्पर्धा को रास्ता दिखाती है।

अध्ययन क्षेत्र की बहाली को दीर्घकालिक बनाने के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं का सुझाव देता है, जिसमें शामिल हैं, अच्छी प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता का अधिक और बेहतर कार्य में रूपांतरण, वर्तमान और भविष्य के लिए आवश्यक दक्षता से श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, ढांचागत निर्माण में निवेश और छोटे व मध्यम दर्जे के उद्यमों (एसएमई) को समर्थन, सामाजिक संरक्षण नीतियों का ऑटोमैटिक स्टैबलाइजर के तौर पर काम करना, आर्थिक आघातों को मद्धम करना और मांग को बरकरार रखने में सहायता देना।

एशिया और प्रशांत में आईएलओ की क्षेत्रीय निदेशक साचिको यामामोटो कहती हैं, 'बहाली को दीर्घकालिक बनाने के लिए आसियान को संतुलित, वास्तविक नीति विकल्पों की जरूरत है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दीर्घकालिकता को समर्थन दें और उत्कृष्ट श्रम को पोषित करें। आईएलओ की वैश्विक रोजगार संधि ऐसे उपाय प्रस्तावित करती है, जिसका उद्देश्य निवेश, रोजगार और सामाजिक संरक्षण पर आधारित उत्पादक बहाली को प्रोत्साहित करना है।'

यह रिपोर्ट बैंकॉक स्थित आईएलओ के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हुई है। वेबसाइट *www.ilo.org/asia* से या अनुरोध पर इसकी प्रतियां हासिल की जा सकती हैं। लेखकों के इंटरव्यू की व्यवस्था भी हो सकती है।

महाद्वीपों के इर्द गिर्द

विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और आईएलओ संबंधी गतिविधियों एवं घटनाओं की नियमित समीक्षा

नौवहन श्रमिकों के लिए उत्कृष्ट श्रम

■ कनाडा सरकार ने 15 जून को अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय में नौवहन श्रम समझौता, 2006 को दी जाने वाली अपनी संपुष्टि का पत्र सौंप दिया। कनाडा पहला उत्तरी अमेरिकी देश है जिसने इस समझौते, जिसे सुपर कनवेंशन भी कहा जाता है, को अपनी संपुष्टि दी है। फरवरी 2006 को 94 वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (नौवहन) में इस समझौते को स्वीकृत किया गया था। 2010 में कनाडा की संपुष्टि, जो कि नौवहन श्रमिकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी है, से 30 देशों की संपुष्टि की दूसरी शर्त का एक तिहाई रास्ता तय कर लिया गया है। अनेक अन्य देशों में हुई प्रगति से इस बात का संकेत मिलता है कि जैसा कि अपेक्षा थी, साल 2011 तक, यानी समझौते की पांचवीं वर्षगांठ तक इसे लागू करने के लिए आवश्यक संपुष्टियां हासिल कर ली जाएंगी। जब यह दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी, उसके 12 महीने बाद यह समझौता लागू हो जाएगा।

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

ओमान के लिए डीडब्ल्यूसीपी

■ पिछली जून में जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 99 वें सत्र में ओमान के लिए उत्कृष्ट श्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम (डीडब्ल्यूसीपी) की शुरुआत की गई। इसके साथ ओमान ऐसा दूसरा खाड़ी देश बना जिसने डीडब्ल्यूसीपी पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले मार्च 2010 में बाहरीन ने ऐसे ही एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ओमान में इस कार्यक्रम को वर्ष 2010-13 के लिए लागू किया जाएगा। इसे आईएलओ, ओमान सरकार और सामाजिक भागीदारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम स्वतंत्रता, न्याय और प्रतिष्ठा की स्थितियों में महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्कृष्ट व उत्पादक रोजगार अवसरों को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

रॉबिन्हो आईएलओ के संग

© Pictures.net

■ ब्राजील के फुटबाल स्टार रॉबसन डी सूजा, जिन्हें लोग रॉबिन्हो के नाम से भी जानते हैं, ब्राजील में बाल श्रम के निकृष्ट रूपों का उन्मूलन करने के लिए आईएलओ को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित वर्ल्ड कप फुटबाल में ब्राजील की तरफ से खेलने वाले रॉबिन्हो ने अपने देश में आईपैक द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय अभियान का चेहरा बनना मंजूर कर लिया है। ब्राजील बाल श्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का अगुवा देश रहा है। वहां की सरकार ने 2015 तक बाल श्रम के निकृष्ट रूपों के उन्मूलन का और 2020 तक बाल श्रम के सभी रूपों के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है जो कि अमेरिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट श्रम की गोलार्ध कार्यसूची के अनुकूल है। मई 2006 में आईएलओ की 16 वीं अमेरिकी क्षेत्रीय बैठक में इस कार्यसूची को मंजूर किया गया था।

डेनमार्क ने आईएलओ में मुख्य योगदान दिया

© एम.क्रोजेट/आईएलओ

■ डेनमार्क सरकार ने फैसला किया है कि वह आईएलओ के नियमित बजट अनुपूरक अकांउट (आरबीएसए) में 4 करोड़ डीकेके (71 लाख अमेरिका डॉलर) का योगदान देगी। डेनिश बोर्ड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑरपोरेशन की सिफारिश के बाद कोपनहेगन में विकास मंत्री द्वारा इस निर्णय को स्वीकृत किया गया और डेनमार्क व आईएलओ ने 3 जून को इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। परंपरागत रूप से सबसे प्रगतिशील दाताओं में से एक डेनमार्क ने पेरिस घोषणापत्र और एकरा एजेंडा फॉर ऐक्शन में अनुदान के सिद्धांतों के अनुरूप एक अच्छी मिसाल दी है। वर्ष 2010-11 के लिए डेनमार्क सरकार का यह योगदान आईएलओ के साथ भागीदारी के एक नए स्तर को स्थापित करेगा।

आईएलओ- आईएफसी बेटर वर्क प्रोग्राम के लिए नए निदेशक

■ आईएलओ महानिदेशक हुआन सोमाविया ने ब्रिटेन के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी विशेषज्ञ डैन रीस को बेटर वर्क का निदेशक चुना है। यह कार्यक्रम आईएलओ और इंटरनेशनल फाइनांस कॉरपोरेशन (आईएफसी) का संयुक्त प्रयास है। बेटर वर्क वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अनुरूप श्रम मानकों में सुधार, श्रमिक अधिकारों की रक्षा और उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का कार्य करता है। श्री रीस इससे पहले एथिकल ट्रेडिंग इनीशिएटिव (ईटीआई) के निदेशक थे, जो कि विश्व का सबसे सम्मानित कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी संस्थान है। अगस्त 2010 से श्री रीस ने अपना पद भार संभाल लिया है।

बेटर वर्क प्रोग्राम पर अधिक जानकारी के लिए सुश्री चंद्रा गैरबर से संपर्क करें +4122/799-7814 या garber@ilo.org

मीडिया फॉर लेबर राइट्स 2010 अवार्ड

■ 21 जून को फिलीपींस की पत्रकार नीना कारपुज को तीसरे वार्षिक मीडिया फॉर लेबर राइट्स फीचर राइटिंग पुरस्कार से नवाजा गया। नीना को यह पुरस्कार घरेलू श्रमिकों और उनकी तस्करी और उत्पीड़न पर लिखे उनके लेख के लिए दिया गया। आईएलओ के ट्यूरिन स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्र द्वारा हर वर्ष ट्यूरिन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

© एल.इगनेस/आईएलओ

नीना कारपुज

इसका उद्देश्य विश्व भर के पत्रकारों को अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों से रूबरू करना है जिससे वे स्थानीय श्रम व सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में इन मानकों की प्रासंगिकता को समझ सकें। इस वर्ष कम्यूनिकेटिंग लेबर राइट्स विषय पर पाठ्यक्रम चलाया गया जिसमें भाग लेने वाले प्रोफेशनल पत्रकारों ने फीचर लिखे। नीना का लेख उन्हीं लेखों में से सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया।

बेनिन में डीडब्ल्यूसीपी

© आईएलओ फोटो

■ 10 जून को बेनिन गणराज्य और आईएलओ ने वर्ष 2010-15 के दौरान उत्कृष्ट श्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम (डीडब्ल्यूसीपी) को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक संवाद को मजबूती प्रदान करना और दीर्घकालीन उद्यमों के विकास व सामाजिक संरक्षण में वृद्धि करके ग्रामीण व शहरी इलाकों के युवाओं के लिए उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहित करना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया अदिस अबाबा में सीनियर कम्यूनिकेशन एंड पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर ग्युब्रे बेरहेन से संपर्क करे +251-11/544-4415

दक्षिण दक्षिण समन्वय

■ तिमोर लेस्ते और ब्राजील की सरकारों ने एक समन्वय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके परिणामस्वरूप तिमोर को 520000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि प्राप्त होगी। इस समझौते पर जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत एक परियोजना को अनुदान दिया जाएगा जो तिमोर में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना करेगी। इसमें सामाजिक संरक्षण के क्षेत्र में तिमोर की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रासंगिक सार्वजनिक नीतियों का सृजन शामिल है। परियोजना जून 2010 में शुरू की गई है और सितंबर 2011 तक चलेगी। इसे आईएलओ के सहयोग से चलाया जाएगा। परियोजना के लिए 385825 अमेरिकी डॉलर का अनुदान ब्राजील देगा जबकि 136000 अमेरिकी डॉलर आईएलओ की ओर से दिया जाएगा। परियोजना की कुल लागत होगी, 521825 अमेरिकी डॉलर।

अधिक जानकारी के लिए आईएलओ की रीजनल इनफॉरमेशन ऑफिसर- एशिया पैसेफिक- सोफी फिशर से संपर्क करें fisher@ilo.org.org, फोनः +41(0) 79 558 6341

© आईएलओ फोटो

नए प्रकाशन

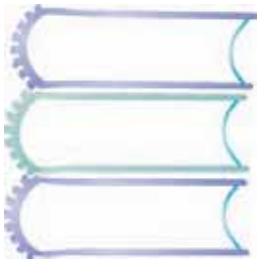

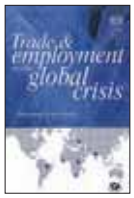

■ **ट्रेड एंड इंप्लॉयमेंट इन द ग्लोबल क्राइसिस**

मैरिअन जेनसेन और एरिक वान यूएक्सकुल, जेनेवा, आईएलओ, 2010 आईएसबीएन 978-92-123334-3, 25 अमेरिकी डॉलर, 16 यूरो, 25 स्विस फ्रैंक्स

निम्न और मध्यम आय वाले देशों में वैश्विक वित्तीय संकट के चलते रोजगार का जबरदस्त घाटा हुआ है और वास्तविक वेतन पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। मंदी के दौरान ब्राजील, मिस्र, भारत, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका, उगांडा और उक्रेन में रोजगार प्रभावों पर आईएलओ अध्ययनों पर आधारित यह पुस्तक विश्लेषण करती है कि किस प्रकार सीमा पार व्यापार ने ट्रांसमीशन चैनल बनकर मंदी के असर को विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचाया है। पुस्तक में जिन मुख्य विषयों को शामिल किया गया है, वे इस प्रकार हैं - व्यापार आक्रमण के प्रति श्रम बाजार की बढ़ती संवेदनशीलता में निर्यात संकेंद्रण की भूमिका, परिवारों और कंपनी के निवेश निर्णयों पर अस्थिर मूल्य के असर, श्रमिकों और सरकारों की सौदेबाजी की क्षमता पर वैश्विक मंदी का असर और लैंगिक असमानता पर नकारात्मक व्यापार आघातों का असर।

पुस्तक विभिन्न नीतिगत उपायों की अनुकूलता की समीक्षा करती है जिन्हें संकट के दौरान देशों ने अपनाया है। लेखक संरचनात्मक घटकों के साथ प्रोत्साहन पैकेज के लाभों को रेखांकित करते हैं जिनकी बदौलत अल्पावधि के रोजगार सृजन के माध्यम से भविष्य में व्यापार के अवसर सृजित होते हैं। लेखक इस बात पर भी बल देते हैं कि कई बार किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित नीतियों के जरिए आर्थिक मंदी को कम करने की नीति निर्धारकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं और कई बार उनका बहुपक्षीय व्यापार नियमों के साथ विवाद भी होता है। इसके विपरीत क्षेत्र पारीय सामाजिक या श्रम बाजार नीतियां विकृत नहीं भी हो सकती हैं और उनमें घरेलू मांग को स्थिर करके वृद्धि में आने वाली मंदी को हल्का करने की क्षमता हो सकती है। लेखक इस बात को रेखांकित करते हैं कि जिन देशों में मंदी से पहले नीतिगत उपाय मौजूद थे, वहां इन उपायों ने ऑटोमैटिक बफर के तौर पर काम किया और उन्हें अपेक्षाकृत आगे बढ़ाया जा सका।

पुस्तक परिवारों द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों और असमानता व सौदेबाजी की ताकत पर संकट के असर पर चिंतन करती है। अंत में अध्ययन में समीक्षा की गई है कि श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए नीतिगत उपाय कितने न्यायोचित हैं और भविष्य में आने वाले संकट से निपटने के लिए सिफारिशों को गठित करते हैं।

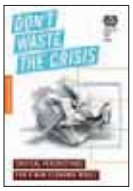

■ **डोंट वेस्ट द क्राइसिस : क्रिटिकल परस्पेक्टिव्स फॉर अ न्यू इकोनॉमिक मॉडल**

निकोलस पोन्स विगनॉन द्वारा संपादित, जेनेवा, आईएलओ, 2010 आईएसबीएन 978-92-2- 123442-5, 28 अमेरिकी डॉलर, 22 यूरो, 30 स्विस फ्रैंक्स

छोटे-छोटे लेखों से तैयार किए गए इस संकलन में वैश्विक वित्तीय संकट के कारणों और परिणामों की पड़ताल की गई है, विशेष रूप से श्रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। लेख नीतिगत बहस को प्रभावित करने की श्रमशक्ति की क्षमता को मजबूत करने के तरीके सुझाते हैं। इसके साथ ये लेख उन लोगों को प्रेरित भी करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियां बदली जानी चाहिए और जो इस बात से संतुष्ट हैं कि श्रमिक आंदोलनों में अब भी योगदान देने के लिए बहुत कुछ शेष है। संकट के अनेक संभावित परिणाम भी हैं। ग्लोबल लेबर कॉलम (इसमें ये लेख सबसे पहले प्रकाशित किए गए थे) ने सभी संभावनाओं की तलाश करने का प्रयास किया था, इसके बावजूद कि इससे कठिन बहस की शुरुआत हो जाएगी। विभिन्न विकल्पों पर उत्साह के साथ और विशेषज्ञतापूर्ण चर्चा की गई। लेख के लेखक मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण के शिक्षाविद और श्रमिक नेता हैं। हालांकि उनके विचारों में भिन्नता थी लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि अब वह समय आ गया है जब श्रमिकों को सुरक्षा देने के लिए नीतियों का गठन किया जाए और उन नीतियों का एक उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना भी हो। विचारों के समृद्ध स्रोत प्रदान करते हुए लेखक श्रमिक संघों की विफलता का खुलासा करने से नहीं चूकते और इस विचार को बांटते हैं कि संकट से सीख लेने के लिए अधिक मजबूत और अधिक ग्राह्य श्रमिक संघ अभियान की जरूरत है। इस पुस्तक को उन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए जो यह महसूस करते हैं कि दोबारा व्यवसाय में वापसी करना आसान विकल्प नहीं है।

■ **द इंप्लॉयमेंट रिलेशनशिप : अ कम्पैरेटिव ओवरव्यू**

ग्यूसेपे कैसेले द्वारा संपादित। आईएलओ, जेनेवा, 2010 आईएसबीएन 978-92-2-123302-2, 48 अमेरिकी डॉलर, 33 यूरो, 50 स्विस फ्रैंक्स

हाल के दशकों में काम के संगठन में आए बदलावों और इन बदलावों के अनुरूप अपर्याप्त कानूनों के चलते यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि कौन रोजगार संबंधों में है और कौन नहीं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में यह स्थापित करना मुश्किल हुआ है कि जिन स्थितियों में संबंधित पक्षों के अधिकार और बाध्यताएं अस्पष्ट हों, जहां रोजगार संबंधों को छिपाने की कोशिश की जाती है या जहां कानूनी ढांचे, या उसकी व्याख्या या कार्यान्वयन में अपर्याप्तता या अंतराल मौजूद हो, वहां रोजगार संबंध मौजूद होते हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में संवेदनशील श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सामाजिक भागीदार और श्रम प्रशासक इस बात पर बल देते हैं कि वैश्वीकरण ने संरक्षण की जरूरत बढ़ाई है, कम से कम अनुबंध और या अन्य कानूनी प्रबंधों द्वारा राष्ट्रीय श्रम कानूनों की प्रवंचना के विरुद्ध।

इसीलिए रोजगार संबंधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, न केवल श्रमिक मामलों के वकीलों द्वारा बल्कि श्रमिकों, नियोक्ताओं और कानूनी ढांचे द्वारा। श्रम की दुनिया में हुए बदलावों ने परंपरागत रोजगार संबंधों में बदलाव किया है। मानक रोजगार संबंधों के इन बदलावों से श्रम कानूनों का संरक्षण और कार्यान्वयन विस्तार लेता है और श्रम कानूनों के कार्यान्वित होने के तरीकों पर स्वतः असर पड़ता है।

यह पुस्तक रोजगार संबंधों के क्षेत्र में लागू होने वाले श्रम कानूनों के विस्तार को प्रस्तुत करती है। पुस्तक में विश्व के विभिन्न हिस्सों में लागू होने वाली शर्तों, विचारों, परिभाषाओं, कानूनों और कामकाज के तरीकों की जानकारी भी दी गई है।

■ **सोशल प्रोटेक्शन एक्सपेंडिचर एंड परफॉरमेंस रिव्यू एंड सोशल बजट : जंजीबार**

आईएलओ, जेनेवा, 2010 आईएसबीएन 978-92-2-122872-1, 40 अमेरिकी डॉलर, 25 यूरो, 40 स्विस फ्रैंक्स

सामाजिक संरक्षण के अभाव के चलते जंजीबार मौजूदा वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील बना रहा और वहां मूलभूत सामाजिक सेवाओं की तत्काल बहुत जरूरत है। यहां हाल ही में आईएलओ-डीएफआईडी द्वारा अनुदान प्राप्त एक परियोजना को शुरू किया गया जो जंजीबार की सामाजिक संरक्षण प्रणाली में मौजूदा सामाजिक हस्तांतरण करेगी। यह रिपोर्ट इस कार्य के आधार पर तैयार की गई है जिससे भविष्य में नीति विकल्पों के विश्लेषण को आधार मिल सके और क्षेत्र में गरीबी कम करने के साधन के रूप में सामाजिक संरक्षण को सामाजिक संवाद का समर्थन प्राप्त हो सके। पुस्तक देश की जनसांख्यिकीय विशेषताओं, अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार की संरचना, गरीबी, योगदानकारी एवं गैर योगदानकारी प्रावधानों और नीति विकल्पों की पड़ताल करती है और प्रस्तावित सरकारी सामाजिक परिव्यय के लिए बजट का मूल्यांकन करती है। इसकी सिफारिशें सामाजिक संरक्षण रणनीति के लिए आधार तैयार करती है।

■ **ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सीरिज, संख्या 73-** आईएलओ, जेनेवा, 2010 आईएसबीएन 978-92-2-122413-6, 32 अमेरिकी डॉलर, 23 यूरो, 35 स्विस फ्रैंक्स

अपने काम के दौरान आयोनाइजिंग रेडिएशन से प्रभावित होने वाले श्रमिकों को अगर कैंसर जैसी

बीमारी हो जाती है तो वे मुआवजे की मांग कर सकते हैं। हालांकि बड़ी उम्र में कैंसर एक सामान्य रोग है और अधिकतर कैंसर गैर व्यवसायगत जोखिमों के कारण होते हैं। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा संकलित यह पुस्तक जोखिम के वैज्ञानिक आधारों की जांच करती है। पुस्तक में व्यवसायगत रेडिएशन का शिकार होने पर कैंसर की आशंका पर खास तौर से चर्चा की गई है। इसमें मुआवजा योजनाओं की सामान्य विशेषताओं को भी प्रस्तुत किया गया है, साथ ही विभिन्न देशों की मुआवजा योजनाओं के उदाहरण पेश किए गए हैं जो अनेक प्रस्तावों को चित्रित करते हैं।

पुस्तक को आईएलओ, आईएईए और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है और इसमें इन संगठनों की व्यवसायगत स्वास्थ्य और आयोनाइजिंग रेडिएशन से संबंधित कार्यसूचियों को शामिल किया गया है। यह पुस्तक राष्ट्रीय प्रशासनों, श्रमिक संघों, नियोक्ताओं और अन्य पक्षों के लिए उपयोगी होगी जो श्रमिकों के मुआवजे पर समान रवैया रखते हैं।

■ **इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर (आईपैक) : व्हॉट इट इज एंड व्हॉट इट डज,** अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा, 2010

यह ब्रोशर आईएलओ के अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आईपैक) की भूमिका और गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करता है। बाल श्रम के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विश्व भर में इस बात पर सर्वसम्मति बनी है कि बाल श्रम के कारण बच्चों से उनका बचपन और पढ़ने का अधिकार छीनना अक्षम्य है। आईएलओ बच्चों, उनके परिवारों और जिस समाज में वे रहते हैं, वहां बदलाव की आशा लेकर आया है। आईपैक अपने संघटकों और दाताओं द्वारा दिए गए अनुदानों के माध्यम से कार्यक्रम और परियोजनाएं संचालित करता है और इस सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम समीक्षा, अंक 149 (2010), संख्या 2
आगामी विशेष अंक : वैश्विक संकट

■ **अ लीगल परस्पेक्टिव ऑन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008- एलेन सुपिओट**

2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी कानून और संस्थानों के संकट का संकेत था जो टोटल मार्केट-अर्थव्यवस्था का 'वैज्ञानिक' राजनैतिककरण, श्रम, भूमि और धन का पूर्ण उपभोक्ताकरण और पूर्ण प्रतिस्पर्धा-जहां कानूनी प्रणालियां भी लॉ शॉपिंग के अधीन हैं- के नवउदारवादी आदर्श के कारण उत्पन्न हुआ था। वित्तीय बाजार इतनी अच्छी तरह से विनियंत्रित थे कि सबसे पहले वे ही धराशाई हुए : टैक्सपेयर अब भी बिल भर रहे हैं। लेकिन प्राकृतिक और 'मानव संसाधनों' के बाजार पर भी जोखिम मंडरा रहा था। 1944 के फिलाडेल्फिया घोषणापत्र के संदर्भ में, सुपिओट कहते हैं, आर्थिक दक्षता के प्रति मनुष्य की अधीनता को समाप्त करने के लिए कानून के नियम को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए।

■ **इट्स फाइनांशियलाइजेशन - रिचर्ड बी फ्रीमैन**

वर्ष 2007-09 के अंतःस्फोट और अनुवर्ती वैश्विक मंदी ने वित्त और अर्थव्यवस्था के बीच के गंभीर संबंध को रेखांकित किया। सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और विशेषज्ञ विनियमित वित्त क्षेत्र के जोखिम के स्तरों का आकलन करने में विफल रहे। लेखक बताते हैं कि जब अर्थव्यवस्थाओं ने बजट को स्थिर करने के लिए अत्यधिक बेलआउट और प्रोत्साहन पैकेज देने शुरू किए तो खत्म हुई नौकरियों की लागत में बढ़ोतरी हुई और सार्वजनिक उत्पादों और वृद्धि में कमी आई। वह विशेष रूप से निर्णयों में वार्षिक उपभोग के लिए मौद्रिक राहत की भूमिका का आकलन करते हैं जिसके परिणामस्वरूप संकट पैदा हुआ। अंत में, वह वित्त और वास्तविक अर्थव्यवस्था से संबंधित संस्थानों के सुधार की बात करते हैं।

■ **विल ओनली द अर्थक्वेक शेक अप इकोनॉमिक्स ? रोनाल्ड स्हेतकत**

'नैचुरल रेट स्टोरी,' सक्षम बाजार की परिकल्पना और श्रम बाजार में उसका कार्यान्वयन, सत्तर के दशक से आर्थिक प्रवृत्तियों और नीति निर्धारणों की व्याख्याओं पर हावी रहा है, अपनी सार्वजनिक नीति और नियम के विचार के साथ। वर्तमान संकट के कारण मची उथल-पुथल से ये सिद्धांत हिल से गए हैं। इस संदर्भ में स्हेतकत नब्बे के दशक से यूरोपीय अनुभवों की जांच करते हैं और बताते हैं कि ये सिद्धांत अप्रमाणित हैं: श्रम बाजार सुधारों के बावजूद मंदी के बाद बेरोजगारी की दर उच्च है और इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर उस समय हावी रही अपस्फीति की मौद्रिक व वित्तीय नीतियों ने आर्थिक वृद्धि का पुनरारंभ किया है।

■ **ग्लोबल क्राइसिस एंड बियांड : सस्टेनेबल ग्रोथ ट्राजेक्टरीज फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड - जयंती घोष**

बहाली के हालिया संकेतों के बावजूद वर्ष 2008-09 में धराशाई हुए वृद्धि के मॉडल का अनियमित पुनरारंभ घरेलू व वैश्विक असंतुलनों को उत्तेजित करेगा जिसके परिणामस्वरूप संकट पैदा हुआ और वास्तविक अर्थव्यवस्था, समतामूलक विकास और रोजगार बहाली को क्षति पहुंची। इस मॉडल की पर्यावरणीय दीर्घकालिकता भी सुस्पष्ट थी। इस लेख में लेखक ऐसी व्यापाक नीति कार्यसूची को समर्थन देती हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का सुधार, वेतन आधारित घरेलू मांग और व्यावहारिक कृषि पर केंद्रित रणनीतियों का विकास, हरित तकनीक को वित्तीय प्रोत्साहन और मांग की प्रवृत्ति और असमानता कम करने और मंदी के दौर में वृहद आर्थिक स्टेबलाइजर के तौर पर काम करने के लिए सामजिक नीतियों को पुनर्वितरित करना शामिल हो।

■ **इनकंप्लीट क्राइसिस रिस्पांसेस : सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट्स एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस - रेमंड टोरेस**

इस लेख में संकट पर अपूर्ण प्रतिक्रियाओं के विकृत प्रभावों की पड़ताल की गई है। सरकार की भूमिका पर प्रारंभ में बल देने से-अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के समन्वित वित्तीय उपायों, नौकरियों में कमी की गति को मंद करने और संवेदनशील समूहों को समर्थन देने के माध्यम से-सार्वजनिक घाटे के बढ़ने के बावजूद दूसरे ग्रेट डिप्रेशन से बचा जा सका। फिर भी वित्तीय प्रणालियों की दुष्क्रिया में सुधार किए बिना बैंकों को बेलआउट करके नीतिगत भूल की गई जिससे संकट बढ़ाः बढ़ते सार्वजनिक ऋणभार के प्रति वित्तीय बाजार की प्रतिक्रियाओं पर चिंता के चलते नीतियां अधिक परपंरागत, बाजार आधारित रवैये की तरफ अभिमुख हो गईं, जो कि वित्तीय संकेंद्रण, छोटी सरकारों और कमजोर सामाजिक संरक्षण पर केंद्रित था। इसका परिणाम अधिक असमानताओं और आर्थिक अस्थिरता के रूप में सामने आया।

बिक्री के लिए आईएलओ के प्रकाशन बड़े पुस्तक विक्रेताओं या विभिन्न देशों में स्थित आईएलओ के स्थानीय कार्यालयों या सीधे आईएलओ थियेटर कोर्ट, तीसरी मंज़िल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्राप्त किये जा सकते हैं। दूरभाषः 24602101, 2462102, फैक्सः 24602111, ई-मेलः delhi@ilo.del.org

सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब

जिनेवा, एजेंसी : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी पहली व्यापक 'विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट' में यह बात कही। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समुचित स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक सहायता और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। भारत में इनमें अधिकतर लाभ अत्यंत सीमित हैं और बहुसंख्यक आबादी इनसे वंचित है।

रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल के हैगमेजेर ने कहा कि यह सिक्के का एक पहलू है, जहां भारत ने सामाजिक सुरक्षा उपायों पर अपनी क्षमता से कम काम किया है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और 30 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके प्रभाव दिखने अभी बाकी हैं। आईएलओ के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक एम किकोहन ने कहा कि चीन और भारत दोनों अब वस्तुओं और सेवा उत्पादन के मामले में विश्व के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। मगर दोनों ने सामाजिक सुरक्षा संरक्षण उपायों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

---

6 जिल्हिज 1431 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लख

मुद्रा युद्ध टालने को प

जी 20 के घोषणापत्र में रोजगार सृजन की जरूरत पर भी जताई

- दोहा दौर की वार्ताओं को शीघ्र पूरा करने पर भी बल
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया घोषणापत्र का स्वागत

सोल। विश्व में मुद्रा युद्ध के खतरे को टालने तथा आर्थिक मंदी दूर कर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रमुख देशों के नेताओं ने आज संकल्प व्यक्त किया कि विश्व अर्थव्यवस्था में असंतुलन दूर करने हेतु निश्चित दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के संगठन जी-20 के नेताओं ने आज यहां शीर्ष वार्ता में तय किया कि विभिन्न स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच के व्यापार असंतुलन को आंका जाएगा तथा बाजार के आधार पर मुद्राओं की साख तय करने के उपाय किए जाएंगे। शीर्ष वार्ता के बाद जारी घोषणापत्र में विभिन्न देशों से अपनी मुद्राओं की कीमत को जानबूझकर कम करने की होड़ से दूर रहने का आग्रह भी किया गया। विश्व नेताओं ने विश्व व्यापार

संगठन (ड... की वार्ताओं... भी जोर दि... और अमेरि... कीमत को... तथा चीन... कीमत को... अमेरिका... अपनाने के... घोषणापत्र... लक्ष्य को स... गया तथा र... प्रदान करने... विकास को... पर जोर दि... महानिदेश... घोषणापत्र... कि आर्थिक... रोजगार अ... केन्द्रीय मह...

भारत ने संरक्षणवाद के प्रति चेताया

सोल। अमेरिका और चीन के मध्य जी-20 शिखर सम्मेलन में मुद्रा की विनिमय दर को लेकर जारी विवाद के बीच भारत ने आज किसी प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन के प्रति आगाह करते हुए कहा कि किसी भी तरह के संरक्षणवाद को पनपने से रोकना होगा। इसके साथ ही भारत ने चालू खाते के अधिशेष की सीमा तय करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। अमेरिका ने इसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार प्रतिशत पर तय करने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने कहा है कि अलग-अलग देशों के लिए स्थायी चालू खाते के अधिशेष के समझौते पर पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों के ढांचे में अंतर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए इन मुद्दों पर भारत की राय रखी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्यांग बाक की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र आज सुबह शुरू हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा, चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सहित दुनिया के कई शीर्ष नेता जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

---

08 आज समाज
अंबाला/चंडीगढ़, गुरुवार, 18 नवम्बर 2010

सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन खराब

एजेंसी

जिनेवा। दुनिया में गरीबी और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति के संदर्भ में अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण उपलब्ध कराने के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी पहली व्यापक 'विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट' में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत ने पर्याप्त काम नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समुचित स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक सहायता और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। भारत में इनमें से अधिकतर लाभ अत्यंत सीमित हैं और बहुसंख्यक आबादी इससे वंचित हैं। रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल के हैगमेजेर ने कहा, 'यह सिक्के का एक पहलू है जहां भारत ने सामाजिक सुरक्षा उपायों पर अपनी क्षमता से कम काम किया है।' उन्होंने कहा, 'लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा 30 करोड़ लोगों के लिये स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके प्रभाव दिखने अभी बाकी हैं।'

आईएलओ के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक एम किकोहन ने कहा कि चीन और भारत दोनों अब वस्तुओं और सेवा उत्पादन के मामले में विश्व के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। लेकिन दोनों ने सामाजिक सुरक्षा संरक्षण उपायों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसका कारण अमेरिकी विकास के उस माडल पर विशेष ध्यान देना है, जो बिना पुनर्वितरण के वृद्धि पर जोर देता है।

सामाजिक सुरक्षा पर पर्याप्त काम नहीं हुआ

जिनेवा। नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी पहली व्यापक विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत ने पर्याप्त काम नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समुचित स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक सहायता और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। बहुसंख्यक आबादी इससे वंचित हैं। रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल के हैगमेजेर ने कहा कि यह सिक्के का एक पहलू है, जहां भारत ने सामाजिक सुरक्षा उपायों पर अपनी क्षमता से कम काम किया है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा 30 करोड़ लोगों के लिये स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके प्रभाव दिखने ...

- आईएलओ ने रिपोर्ट में भारत के प्रदर्शन को नाकाफी बताया

सामाजि

इसके मुख्य क्षेत्र हैं

■ एजेंसी

जिनेवा। दुनिया में गरीबी और असंगठि... क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति के संदर्भ ...

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी पहली व्यापक 'विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट' में कहा, कि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत ने पर्याप्त काम नहीं किया

नऊ से प्रकाशित

हल

गई सहमति

ब्ल्यूटीओ) की दोहा दौ
को शीघ्र पूरा किए जाने प
ा। हाल के महीनों में चीन
का के बीच मुद्राओं की
लेकर तीखे विवाद उभरे थे
र अपनी मुद्रा युआन को
ानबूझकर कम रखने तथा
पर संरक्षणवादी रवैया
आरोप लगाए गए थे।
में बेरोजगारी दूर करने के
बसे महत्वपूर्ण करार दिया
ोगों को सामाजिक सुरक्षा
तथा गरीब देशों में आर्थिक
तेज करने के उपाय करने
या गया। आईएलओ के
जुआन सोमाविया ने
का स्वागत करते हुए कहा
मंदी से उबरने के उपायों में
र सामाजिक सुरक्षा को
त्व मिलना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत में समुचित उपाय नहीं : आईएलओ

जिनेवा, (भाषा)। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का कहना है कि भारत ने गरीबी और बेरोजगारी की कगार पर खड़े अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हालिया समय तक बहुत ज्यादा कदम नही उठाए।

विश्व सामाजिक सुरक्षा पर अपनी पहली व्यापक रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकेत दिए है कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने पर्याप्त काम नही किया है जिसे 'वित्तीय स्थिति के साथ वैश्वीकरण का बेहद महत्वपूर्ण और संवेदी' पहलू माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में समुचित स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक मदद और बेरोजगारी की नौबत में इस तरह के लाभ बेहद सीमित है और आबादी का ज्यादातर हिस्सा इससे वंचित है। रिपोर्ट के एक लेखक हगेमेजेर का कहना है,स्पष्ट रूप से यह सिक्के का एक ही पहलू है जहां सामाजिक सुरक्षा उपायों पर भारत का व्यय हाल के दिनों तक उसकी क्षमता से कम है। उनका कहना है,लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यहां रोजगार गारंटी योजना जैसी नई योजनाएं है। अंतरराष्ट्रीय श्र संगठन के सामाजिक सुरक्ष विभाग के निदेशक माइक किचोन का कहना है,सामान अ सेवाओं के मामलों में वैश्विक के बन गए चीन और भारत सामाजिक सुरक्षा उपायों पर ज्य ध्यान नही दिया है क्योंकि उन वाशिंगटन की तर्ज को अ किया है जो बांटे बिना आगे ब

10 साल में सबसे ज्यादा कामकाजी वर्ग भारत में

नई दिल्ली: इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 10 साल में भारत में सबसे ज्यादा कामकाजी उम्रवर्ग के लोग होंगे। 11 नवंबर से सियोल में शुरू हो रहे जी-20 समिट के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में आईएलओ ने कहा है कि 2010 से 2020 के बीच जी-20 देशों में 15 से 64 साल के कामकाजी उम्रवर्ग के लोगों की संख्या 21.2 करोड़ बढ़ जाएगी। इसमें से 64 फीसदी बढ़त अकेले भारत में होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कामकाजी लोगों की जनसंख्या 2.3 करोड़ और इंडोनेशिया में 2 करोड़ बढ़ेगी। वहीं, ब्राजील में यह जनसंख्या 1.5 करोड़ और अमेरिका में 1.1 करोड़ बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 देशों को लेबर मार्केट में आने वाली नई फौज को रोजगार देने के लिए साथ मिलकर 2020 तक सालाना करीब 2.1 करोड़ नई नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी।

क सुरक्षा के क्षेत्र में भारत फेल

स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक सहायता और बेरोजगारी लाभ

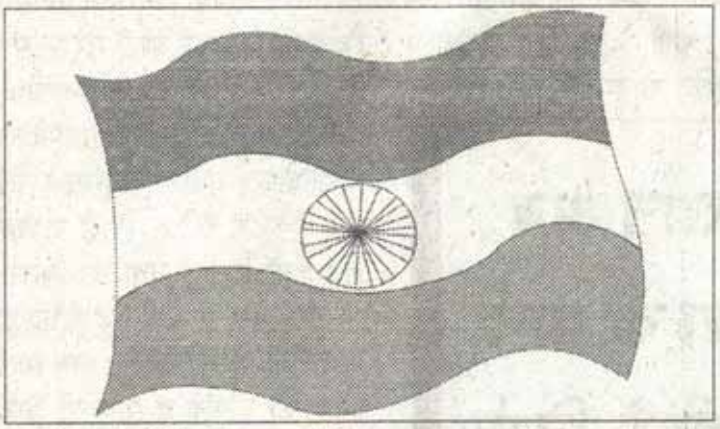

अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण उपलब्ध कराने के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी पहली व्यापक 'विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट' में कहा है कि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के मामले में भारत ने पर्याप्त काम नहीं किया है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में समुचित स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन, सामाजिक सहायता और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं। भारत में इनमें से अधिकतर लाभ अत्यंत सीमित हैं और बहुसंख्यक आबादी इससे वंचित हैं। रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल के हैगमेजेर ने कहा कि यह सिक्के का एक पहलू है जहां भारत ने सामाजिक सुरक्षा उपायों पर अपनी क्षमता से कम काम किया है। उन्होंने कहा कि लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा 30 करोड़ लोगों के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है जिसके प्रभाव दिखने अभी बाकी हैं। आईएलओ के सामाजिक सुरक्षा विभाग के निदेशक एम कि कोहन ने कहा कि चीन और भारत दोनों अब वस्तुओं और सेवा उत्पादन के मामले में विश्व के प्रमुख केंद्र बन गए हैं। लेकिन दोनों ने सामाजिक सुरक्षा संरक्षण उपायों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसका कारण अमेरिकी विकास के उस मॉडल पर विशेष ध्यान देना है जो बिना पुनर्वितरण के वृद्धि पर जोर देता है। भारत को अपने इन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया में बरक्की को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है।■

आईएलओ का अनुमान है कि विश्व भर में लगभग एक करोड़ 23 लाख लोग बलात श्रम करने को मजबूर हैं। आईएलओ वर्ष 2002 से बलात श्रम को काबू करने के लिए विशेष कार्रवाई योजना (एसएपी-एफएल) चला रहा है जो बलात श्रम के अतिरिक्त मानव तस्करी के विरुद्ध भी कार्य करता है। संबंधित भागीदारों के साथ काम करते हुए संगठन आधुनिक समय में बलात श्रम के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है और अपने संघटकों की मदद कर रहा है जिससे वे बलात श्रम का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर सकें।

संख्या 40, दिसम्बर 2010

अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय

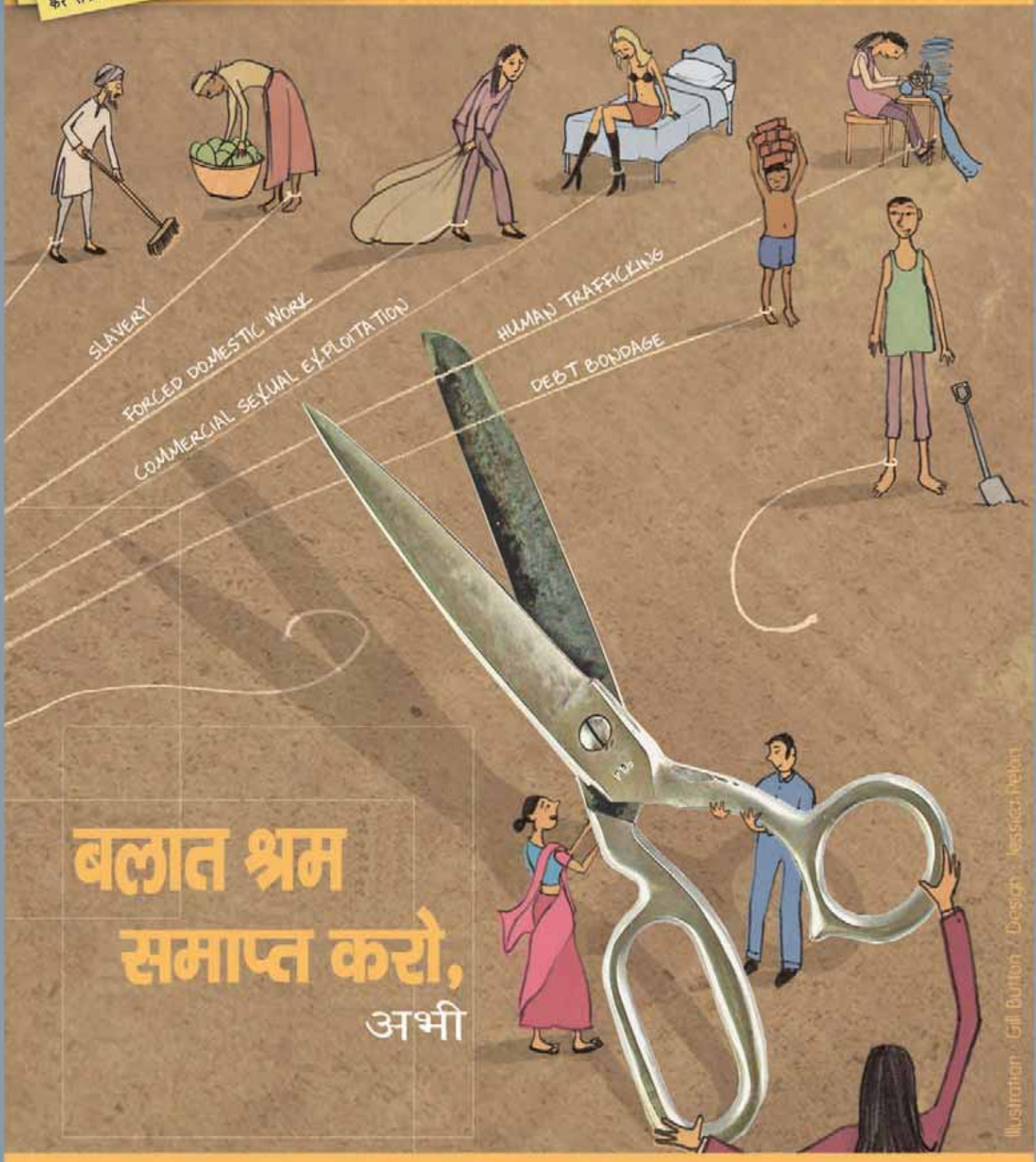

बलात श्रम समाप्त करो, अभी

Illustration: Gill Button / Design: Jessica Hebert

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.ilo.org/forcedlabour